अपने शहर को खुले में शौच से मुक्त घोषित करें

ODF+, ODF++

निकायों के लिए सहयोगी मार्गदर्शिका

खुले में शौच से मुक्त शहर/वार्ड की परिभाषा :

एक शहर/वार्ड को ओडीएफ शहर के रूप में तभी घोषित किया जा सकता है जबकि वहाँ एक भी व्यक्ति खुले में शौच करता नहीं पाया गया हो।

आवश्यक बुनियादी ढांचा और नियामक :

खुले में शौच से मुक्त शहर/वार्ड घोषित करने से पहले आवश्यक बुनियादी ढांचा और शर्तें –

1. सभी शहरी आवास जिनके पास शौचालय बनाने की जगह है, उन्होंने शौचालय का निर्माण किया हो ।
2. जिन निवासियों के पास शौचालय बनाने की जगह नहीं है, उन्हें 500 मीटर की सीमा में सामुदायिक शौचालय उपलब्ध हो।
3. सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में 1 किलोमीटर की सीमा में सार्वजनिक शौचालय हो ।
4. 2011 से निर्मित सभी व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का विवरण अनिवार्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन अर्बन पोर्टल पर अपलोड करना हो।
5. शहर में सभी उपयोग में लाए जा रहे सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की तस्वीरें, निर्माण की तारीख के बाद, एसबीएम–शहरी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना आवश्यक हो।

खुले में शौच से मुक्ति के सम्बन्ध में प्रमुख घोषणाएं –

1. महापौर/अध्यक्ष द्वारा शहर को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने संबधी घोषणा।
2. वार्ड पार्षदों द्वारा वार्ड की खुले में शौच से मुक्त घोषित करने संबधी निम्नानुसार घोषणा।
    - वार्ड में स्थित प्रत्येक स्कूल द्वारा यह घोषणा की जावेगी कि स्कूल में पंजीकृत बालक या बालिका स्कूल और घर में शौचालय का ही प्रयोग करते हैं।
    - वार्ड में सक्रिय स्वयं सहायता समूह यह घोषणा करेंगे कि वार्ड के सभी निवासियों के घर पर शौचालय है और वे नियमित रूप से उसका उपयोग करते हैं।

ओडीएफ से आगे एक कदम –

एसबीएम ओडीएफ + और एसबीएम ओडीएफ ++

एसबीएम ओडीएफ + और एसबीएम ओडीएफ ++ प्रोटोकॉल का निर्माण, ओडीएफ प्रोटोकॉल पर आधारित है, जिससे स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए शहरों और कस्बों को एक मंच प्रदान किया जा सके, यह प्रोटोकाल प्राकृतिक आधार पर भारत की ज़मीनी वास्तविकताओं को दर्शाता हैं ।

1. एसबीएम ओडीएफ + : परिभाषाएं और आवश्यक शर्तें :

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति + की परिभाषा – एक शहर/वार्ड/कार्य क्षेत्र एसबीएम ओडीएफ + शहर / एसबीएम ओडीएफ + वार्ड / एसबीएम ओडीएफ + कार्य क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा सकता है, यदि वहाँ कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब करते नहीं पाया जाता और सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय साफ–सुथरें व स्वच्छ हों और उपयोग किये जा रहे हों।

नोट : यदि कोई शहर/नगर, आवास और शहरी विकास कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल के आधार पर यदि एक बार भी खुले में शौच से मुक्त हो गया है तो वह स्वयं को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत ओडीएफ + शहर घोषित कर सकता है और प्रोटोकाल में लिखित शर्तों के आधार पर आवेदन कर सकता है :–

ओडीएफ + के रूप में शहर/वार्ड घोषित करने से पहले आवश्यक बुनियादी ढांचा (अधोसंरचना) और नियामक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए –

1. व्यक्तिगत शौचालय नागरिकों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हों और स्वच्छ व व्यवस्थित हों साथ ही उनमे पानी की उपलब्धता हो। सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के दायरे में सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए ।
3. शौचालय सीटों/मूत्रालयों और खण्डों की संख्या तय करते समय, शहर की पूरी फ्लोटिंग आबादी पर विचार किया जाना चाहिए।
4. शहर के पास किसी भी क्षेत्र विशेष में उत्सव/महोत्सव/गतिविधि में बड़ा जन सैलाब या भीड़ एकत्रित होने पर यदि वहां पूर्व से स्थापित सुविधाएँ पर्याप्त नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्था की उपलब्धता होनी चाहिए।
5. सभी आवासीय समितियों ,रहवासी कल्याण संघों/मोहल्ला समितियों के क्षेत्र में महिला और पुरुषों (घरेलु कार्य करने वाले, निर्माण श्रमिक, ड्राईवर, प्रबंधन स्टाफ के लिए जो

कि कार्य हेतु इन क्षेत्रों में आतें है) हेतु उपयोग योग्य शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए जो स्वच्छ हों और पूरे समय खुले रहतें हो।

6. शहर ने सभी सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों की संरचनात्मक ऑडिट (निर्मित शौचालयों की शीट, फर्श दीवार, बेसिन व् अन्य की स्थिति) की है और निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक मरम्मत और नवीनीकरण किया है।
7. सभी कार्यात्मक सार्वजानिक और सामुदायिक शौचालय उचित रूप से प्रावधानिक एवं वेलमेंटेन्ड होना चाहिए। अनुलग्नक 1 (अ) में दी गई सभी शर्तों के पालन के साथ । अनुलग्नक 4 में दिए गए फ्रेमवर्क के अनुरूप और अहर्ता प्राप्त करने हेतु कम से कम 90 प्रतिशत स्कोर प्राप्त करना होगा
8. उपयोग योग्य (कार्यात्मक) सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के कम से कम 1 या 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, अनुलग्नक 1 (बी) में दी गई अतिरिक्त शर्तों का पालन करना चाहिए। अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शौचालय अनुलग्नक–5 में प्रदान किए गए ढांचे के अनुसार बनाएंगे और कुल मिलाकर 90 प्रतिशत कम स्कोर करना होगा।
9. यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड द्वारा स्वच्छता सेवा स्तर बेंचमार्क अधिसूचित किये गए हैं कम से कम इस प्रोटोकॉल दस्तावेज़ में एसबीएम ओडीएफ+ के लिए परिभाषित सभी स्थितियों का पालन करते हुए, नगरपालिका उप–कानूनों (या समकक्ष, नगरपालिका प्रशासन की अनुपस्थिति में) में और व्यापक पहुंच वाले समाचार पत्रों में से कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जावे।
10. शहर के द्वारा खुले में शौच करने वालों के लिए पेनाल्टी और फाइन (अर्थदंड) जारी और अधिसूचित किये गए साथ ही सामुदायिक और सार्वजानिक शौचालयों का ख़राब रखरखाव रखने वाले प्राधिकृत संस्था के विरुद्ध भी दंड का प्रावधान भी परिभाषित किया गया हो अनुबंध सम्बन्धी दस्तावेजो में।

1 कार्य क्षेत्र तभी लागू होता है, जब संबंधित क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में हो

2 सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक रूप से लोगों की खुली पहुंच वाले क्षेत्र हैं, (पार्क और बगीचों के अलावा भी अन्य क्षेत्र) परिवहन केंद्र (रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन, आदि), धार्मिक क्षेत्रों, पर्यटक स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों वाणिज्यिक क्षेत्र (जैसे बाजार क्षेत्र, बाज़ार) आदि शामिल हैं

3 आवश्यक शौचालयों की संख्या का पता लगाने के लिए मूल्यांकन यूएलबी / छावनी बोर्ड / विकास प्राधिकरण आयोजित करेगा।

2. एसबीएम ओडीएफ + घोषणा हेतु प्रोटोकाल

शहर / वार्ड / कार्य क्षेत्र को एसबीएम ओडीएफ + घोषित करने के लिए निम्नलिखित प्रोटोकॉल को अपनाया जाना है :–

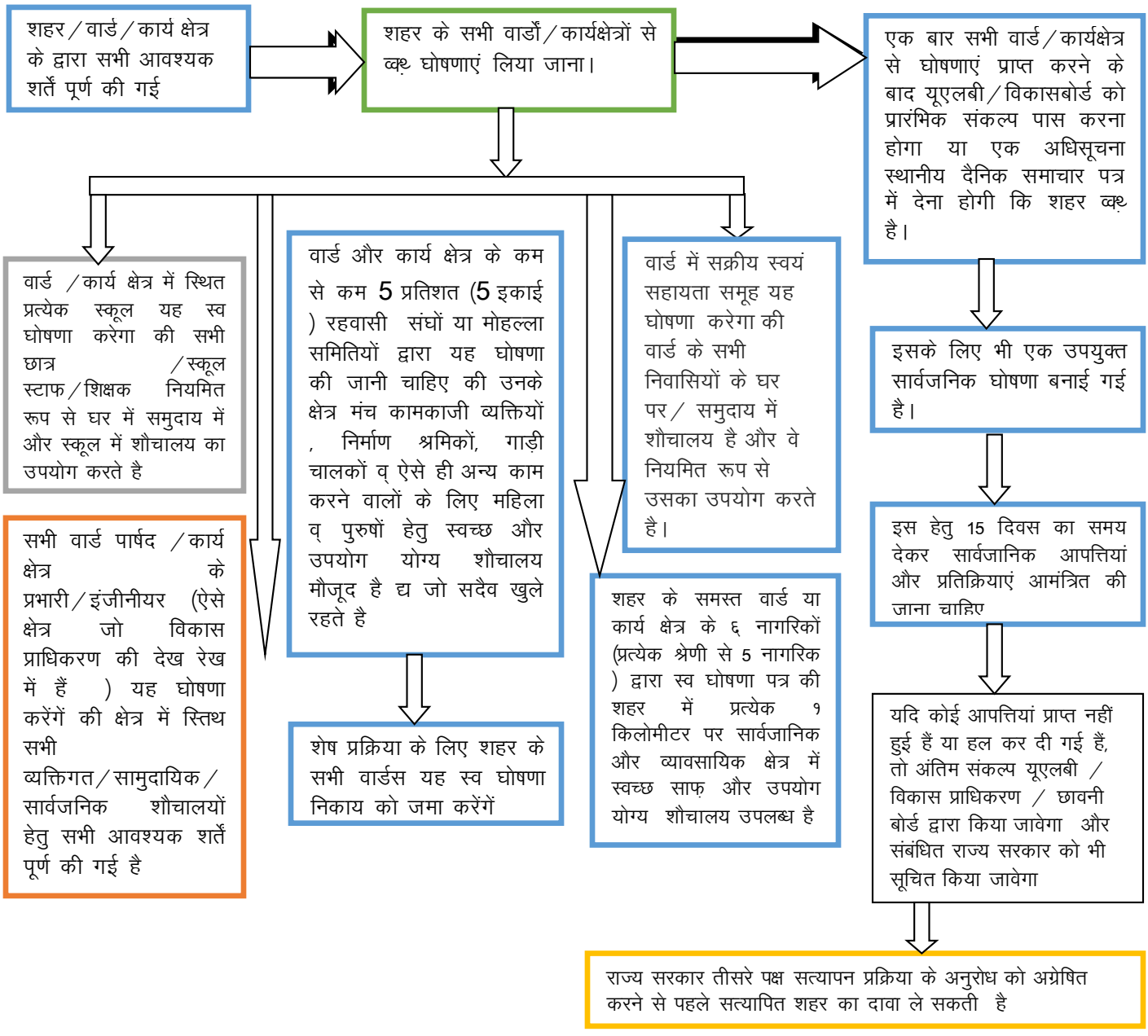

प्रोटोकॉल का विवरण ,विस्तृत रूप से नीचे किया गया हैः

1. सभी 'आवश्यक शर्तें' जो की आधारभूत संरचना और नियमों से सम्बंधित है, को शहर के सभी वार्ड/कार्य क्षेत्र द्वारा पूरा किया जाना है। ऊपर दिए गए बिंदु क्रमांक 1 को पूर्ण करने के लिए शहर के सभी वार्डों /कार्य क्षेत्रों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जाना चाहिए व शेष प्रक्रिया के लिए शहर के सभी वार्ड /कार्य क्षेत्रों द्वारा स्व–घोषणा पत्र भरना होगा और नगर पालिका प्रशासन या विकास प्राधिकरण को जमा करवाना होगा।
2. नगरीय प्रशासन ,विकास प्राधिकरण, छावनी बोर्ड, वार्ड, कार्य क्षेत्र द्वारा अधोलिखित उप घोषणाएं करना आवश्यक है।
    - वार्ड /कार्य क्षेत्र में स्थित प्रत्येक स्कूल (ओडीएफ सर्वेक्षण के बाद निर्मित स्कूल भी शामिल) यह स्वघोषणा करेगा की सभी छात्र/स्कूल स्टाफ/शिक्षक नियमित रूप से घर में समुदाय में और स्कूल में शौचालय का उपयोग करते है। सभी शौचालय साफ स्वच्छ और उपयोग योग्य है।
    - वार्ड में सक्रिय स्वयं सहायता समूह (ओडीएफ सर्वेक्षण के बाद गठित स्वयं सहायता समूह भी शामिल) यह घोषणा करेगा की वार्ड के सभी निवासियों के घर पर/ समुदाय में शौचालय है और वे नियमित रूप से उसका उपयोग करते है। सभी शौचालय साफ स्वच्छ और उपयोग योग्य है।
    - वार्ड और कार्य क्षेत्र के कम से कम 5 प्रतिशत (5 इकाई) रहवासी संघों या मोहल्ला समितियों द्वारा यह घोषणा की जानी चाहिए की उनके क्षेत्र में कामकाजी व्यक्तियों, निर्माण श्रमिकों, गाड़ी चालकों व ऐसे ही अन्य कार्यशील जनता के महिला व पुरुषों हेतु स्वच्छ और उपयोग योग्य शौचालय मौजूद है और सभी शौचालय पूरे समय खुले रहते है।
    - शहर के समस्त वार्ड या क्षेत्र के 6 नागरिकों (प्रत्येक श्रेणी से 5 नागरिक) द्वारा स्व–घोषणा पत्र की शहर में प्रत्येक 1 किलोमीटर पर सार्वजनिक और व्यावसायिक क्षेत्र में स्वच्छ साफ़ और उपयोग योग्य शौचालय उपलब्ध है।
    - सभी वार्ड पार्षद/कार्य क्षेत्र के प्रभारी/इंजीनीयर (ऐसे क्षेत्र जो विकास प्राधिकरण की देख रेख में हैं) यह घोषणा करेंगें की क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तिगत/सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों हेतु सभी आवश्यक शर्तें पूर्ण की गई है।
3. यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड को संकल्प पास करना होगा या एक अधिसूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में देनी होगी की शहर एसबीएम ओडीएफ + है। प्रारंभिक संकल्प या अधिसूचना, 2 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र में

प्रकाशित कर 15 दिवस का समय देकर सार्वजानिक आपत्तियां और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की जाना चाहिए ।

4. यदि कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं या हल कर दी गई हैं, तो अंतिम संकल्प यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड द्वारा किया जावेगा और संबंधित राज्य सरकार को भी सूचित किया जावेगा।
5. राज्य सरकार के पास औपचारिक रूप से शहर को एसबीएम ओडीएफ + होने की स्थिति के ठीक पहले उचित तृतीय पक्ष सत्यापन प्रक्रिया (समयबद्ध प्रक्रिया में) के माध्यम से सत्यापन करवाना होगा।
6. एमओएचयूए फिर "ओडीएफ+" प्रक्रिया के लिए स्वच्छ प्रमाणन करेगा। जारी प्रमाणपत्र छह महीने के लिए मान्य होगा और प्रमाणन प्रक्रिया हर छह महीने में करना होगी। प्रमाणीकरण में विफल होने पर, एक महीने की अवधि (प्रमाणीकरण विफलता की तारीख से) पश्चात्, संबंधित शहर फिर से एसबीएम ओडीएफ + प्रमाणीकरण के लिए अनुरोध कर सकता है।

3. एसबीएम ओडीएफ + – घोषणाओं हेतु दस्तावेज

शहर / नगर प्रमुख कार्यकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा के लिए प्रारूप

मैं .....महापौर /अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालन अधिकारी ....(निकाय का नाम /विकास प्राधिकरण /छावनी बोर्ड) यह घोषणा करता हूँ कि :

1. निकाय/विकास प्राधिकरण /छावनी बोर्ड यह अधिसूचित करेगा की एसबीएम ओडीएफ + हेतु सभी परिभाषित शर्तें, स्वच्छता सेवा स्तर बेंचमार्क के अनसार पूर्ण की गई हैं तथा दो प्रमुख समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित किया गया है।
2. शहर/नगर के पास त्योहारों/अत्यधिक भीड़ वालें स्थलों के लिए अलग से पर्याप्त शौचालय उपलब्ध हैं जहाँ पूर्व में उपलब्ध शौचालय पर्याप्त नहीं हैं।
3. शहर/नगर के द्वारा सामुदायिक और सार्वजानिक शौचालयों में संरचनात्मक ऑडिट पूर्ण किये गए है तथा प्राप्त तथ्यों के आधार पर मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है।
4. शहर के द्वारा खुले में शौच करने वालों के लिए जुर्माना अधिसूचित किया गया है। साथ ही जिन शौचालयों का प्रबंधन बहुत ख़राब है उनके संचालकों/प्रबंधन हेतु अधिकृत व्यक्ति/सार्वजनिक शौचालयों के अनुबंध में जुर्मानाराशी अधिसूचित की गई है।
5. सभी वार्ड पार्षद/कार्य क्षेत्र के प्रभारी/इंजीनियर (ऐसे क्षेत्र जो विकास प्राधिकरण की देख रेख में हैं) द्वारा एसबीएम ओडीएफ + हेतु स्व–घोषणा दी गई है।
6. नगरीय निकाय के द्वारा एसबीएम ओडीएफ + हेतु प्राथमिक संकल्प पारित किया गया है।
7. उपरोक्त संकल्प, 2 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर 15 दिवस का समय देकर सार्वजनिक आपत्तियां और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई हैं।
8. यदि कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं या हल कर दी गई हैं तो निकाय एसबीएम ओडीएफ + हेतु अंतिम संकल्प पारित करेगा।
9. अंतिम पारित संकल्प आगामी मूल्यांकन हेतु राज्य सरकार को भेजा गया।

उक्त के अनुसार ..... (निकाय का नाम) एसबीएम ओडीएफ + घोषित करता है। शहरी आवास और नगरीय कार्य मंत्रालय निकाय ..... एसबीएम ओडीएफ + हेतु प्रक्रिया को पूर्ण करेगा।

.....

(हस्ताक्षर , महापौर ,अध्यक्ष , मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नाम)

वार्ड पार्षदों/क्षेत्र के प्रभारी/इन्जीनियर के लिए घोषणा प्रपत्र –

मैं ..... वार्ड पार्षद/क्षेत्र के प्रभारी/इन्जीनियर..... .....(निकाय का नाम/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड) यह घोषणा करता हूँ कि:

1. सभी घर जहाँ शौचालय निर्माण हेतू पर्याप्त जगह है उनके द्वारा शौचालय का निर्माण किया गया है। व्यक्तिगत शौचालय उपयोग हो रहे हैं और सभी में जल की पर्याप्त उपलब्धता है।
2. उन घरों के सभी लोग जिनके पास शौचालय बनाने की जगह नहीं है वे अपने घर से 500 मीटर की दूरी के भीतर एक कार्यात्मक सामुदायिक शौचालय का उपयोग कर रहे है।
3. सभी सार्वजनिक क्षेत्रों और वाणिज्यिक क्षेत्रों में 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर कार्यात्मक व उपयोग किए जाने योग्य सार्वजनिक शौचालय हैं।
4. शौचालय सीटों और ब्लॉक की संख्या तय करते समय, शहर की फ्लोटिंग आबादी पर विचार किया जाना आवश्यक है।
5. सभी रहवासी क्षेत्रों, रहवासी संघों या मोहल्ला समितियों के परिसर में शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। उनके क्षेत्र में कामकाजी व्यक्तियों, निर्माण श्रमिकों, गाड़ी चालकों व ऐसे ही अन्य काम करने वालों के लिए महिला व् पुरुषों हेतु स्वच्छ और उपयोग योग्य शौचालय मौजूद हो तथा पूरे समय खुले रहते हों।
6. सभी कार्यात्मक सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय उचित रूप से प्रावधान कर और अच्छी तरह से बनाए गए है, और स्कोरिंग के अनुसार कम से कम 90 प्रतिशत स्कोरिंग के साथ प्रत्येक टॉयलेट निम्नलिखित स्थितियों को पूरा करें :–
    - जल की उपलब्धता।
    - शौचालय और मूत्रालय की समस्त शीट साफ हों और शौचालय पूरे समय खुले रहते हैं।
    - वाश बेसिन साफ स्वच्छ हो ।
    - सफाई और प्रबंधन हेतु रोस्टर का पालन किया जा रहा हो और केयर टेकर (देखरेख करने वाला) हर समय ड्यूटी पर तैनात हो शौचालय के खुलने के शुरूआती समय में।
    - शौचालय के फ्लोर की नियमित साफ–सफाई तय समय अन्तराल में हो।
    - यदि दर्पण मौजूद हो तो वह साफ होना चाहिए ।
    - सभी दरवाजों पर कुण्डी लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

- प्रत्येक शौचालय में हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था।
- शौचालय में नियमित साफ़ होने वाले डस्टबिन उपलब्ध हों तथा प्रत्येक शीट के साथ एक बिन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये ।
- शौचालय का परिसर साफ़ और स्वच्छ हो तथा प्रत्येक शीट के लिए प्रकाश की कार्यात्मक व्यवस्था (बल्ब या एलइडी चालू हालत में) हो।
- आवश्यक वेंटीलेशन सुविधा मौजूद हो (झरोंखे,हवा आने जाने के लिए तिरछे ग्लास या निकास हेतु पंखे लगें हो)।

स्कूलों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणापत्र का प्रारूप

मैं घोषणा करता हूं कि ——————————————————————————
स्कूल (स्कूल का नाम)) वार्ड (संख्या में) ————————————————————
के अंतर्गत ——————————————————————— (निकाय का नाम/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड) ——————————————————
छात्रों की संख्या ————————————स्टाफ की संख्या (शिक्षकों सहित)

स्कूल के पास सभी विद्यार्थियों एवं स्टॉफ के लिये पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट्स हों। स्कूल में रहते समय कोई भी विद्यार्थी एवं स्टाफ खूले में शौच एवं पेशाब के लिये बाहर नहीं जाते हों। सभी शौचालय अच्छी तरह से बने हों, शौचालय के लिये परिभाषित सभी स्थितियों के साथ (एसबीएम ओडीएफ़ प्रोटोकॉल के अनुलग्नक 1(ए) और 1 (बी) अनुसार) पूरा किया जा रहा है। स्कूल के सभी छात्र, उसके सभी परिवार के सदस्यों के साथ घर पर शौचालय का उपयोग कर रहे हों/मल/पेशाब के लिये पड़ोस में स्थित सामुदायिक शौचालय का उपयोग करता हो, प्रत्येक छात्र और कर्मचारियों द्वारा स्वयं की गई घोषणा की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक देखें)

(प्रधानाध्यापक का नाम एवं हस्ताक्षर / हस्ताक्षर /स्कूल की संचालिका)
दिनांक :..

स्व–सहायता समूहों द्वारा जमा किया जाने वाला स्व–घोषणा का प्रारूप

यह घोषित किया जाता है कि स्व–सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य..... (स्व सहायता समूह का नाम) वार्ड नम्बर में/कार्य क्षेत्र ..... (निकाय का नाम /विकास प्राधिकरण / छावनी बोर्ड) शामिल ..... सदस्य (सदस्यों की संख्या), जिनके नाम अनुलग्नक के रूप में जुड़े हैं, उनके परिवार के सदस्यों के साथ घर पर शौचालय का उपयोग करते हैं/मल/पेशाब के लिये उनके नजदीक स्थित सामुदायिक शौचालय का उपयोग करते हैं एवं ये शौचालय पानी की उपलब्धता के साथ कार्यात्मक एवं उनका रख रखाव उचित हो एवं वार्ड नंबर/कार्य क्षेत्र ..... सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय कार्यात्मक एवं वैल मैन्टेण्ड हो, कोई भी व्यक्ति खुले में शौच एवं पेशाब नहीं करता हो।

(हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान, एवं स्व सहयता समूह के अध्यक्ष का नाम)
दिनांक :
(स्व सहायता समूह के सदस्यों के नाम की सूची संलग्न)

रहवासी कल्याण संघ /आवासीय समितियों द्वारा दिये जाने वाले घोषणा पत्र का प्रारुप

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... निकाय के वार्ड क्रमांक..... के अंर्तगत .....(रहवासी कल्याण संघ/ आवासीय या मुहल्ला समिति का नाम) परिसर/क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं, अप्रवासी रहवासियों , सुरक्षा कर्मियों,घरेलू कर्मचारियों,वाहन चालकों के प्रयोग हेतु शौचालय की सुविधायें है। रहवासी क्षेत्र / मुहल्ले या सोसाइटी में आने वाले किसी भी कार्यरत व्यक्ति के लिये किसी भी समय शौचालय का प्रयोग करने के लिये स्वच्छ रहता है।

रहवासी कल्याण संघ/ आवासीय या मुहल्ला समिति के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर

पता :

तारीख :

नागरिक श्रेणी प्रतिनिधि द्वारा दिये जाने वाले स्वघोषणा पत्र का प्रारुप

मैं .....(नाम), अधिकृत प्रतिनिधि (नागरिक श्रेणी/रहवासी संघ का नाम) . .....की ओर से यह घोषणा करते हैं कि मेरे नगर (नगरीय निकाय/नगर निगम/पालिका/नगर पंचायत) के वार्ड क्रमांक ..... के सार्वजनिक और व्यावसायिक क्षेत्र में प्रत्येक 1 किमी के दायरे में स्वच्छ, क्रियाशीलश्अवस्था में प्रयोग करने योग्य सार्वजनिक शौचालय है।

(नागरिक श्रेणी के अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर और नाम)

पता :

फोन नंबर :

तारीख :

4. स्वच्छ भारत मिशन ओडीएफ+ के लिये स्वच्छ सर्टिफिकेशन

जब कोई शहर/निकाय अपनी राज्य सरकार को अनंतिम रुप से खुले में शौचमुक्त प्लस होने का स्वघोषणा आधारित प्रस्ताव भेज देता है और उसी क्रम में राज्य सरकार से उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को भेज देता है, जब तृतीय पक्ष सत्यापन प्रक्रिया (स्वच्छ भारत मिशन की खुले में शौच से मुक्त () अवस्था के लिये स्वच्छ प्रमाणन) अपनाकर अंतिम खुले में शौच मुक्त प्लस अवस्था के लिये प्रमाणन किया जाता है।

उक्त प्रमाणन में असफल होने की स्थिति में एक माह की विराम काल स्थिति (प्रमाणन में असफल होने की तिथि से) का प्रावधान किया गया है। उक्त विराम काल स्थिति के उपरान्त निकाय/शहर पुनः खुले में शौचमुक्त प्लस अवस्था के प्रमाणन लिये आवेदन कर सकता है।

तत्पश्चात, खुले में शौचमुक्त प्लस अवस्था का पुनःप्रमाणन प्रत्येक छः माह के अन्तराल पर कराया जाना प्रावधानित है ताकि निकाय में खुले में शौचमुक्त की स्थिति निरंतर बनी रहे ।

खुले में शौच मुक्त प्लस अवस्था के प्रमाणन हेतु पालन किये जाने वाले आवश्यक प्रोटोकाल

स्वच्छ प्रमाणन करने के लिए निम्नलिखित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा –

1. निकाय पहले स्वयं को ओडीएफ़ प्लस के रूप में घोषित करता है और राज्य द्वारा यह प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन, निदेशालय केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को प्रेषित की जाएगी। यदि ओडीएफ + की घोषणा विकास प्राधिकरण या छाबनी बोर्ड की है तो वह केन्द्रीय आवास एवं शहरीविकास मंत्रालय को सीधे भेजी जा सकती है।

2. निकाय/राज्य के केन्द्रीय आवासन एवं शहरीविकास मंत्रालय को प्रेषित किए गये अनुरोध के आधार चयनित तृतीय पक्ष के मूल्यांकनकर्ताओं के माध्यम से स्वाघोषणा के 30 दिवस की सीमा में एस.बी.एम. ओ.डी.एफ स्थिति का सत्यापन कराया जायेगा।
3. प्रारम्भिक सत्यापन के लिये तृतीय पक्ष के मूल्यांकनकर्ता द्वारा सेवा स्तर ऑकलन और स्वतंत्र निरीक्षण दोनों किये जायेंगे।
4. मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर तृतीय पक्ष निकाय के "एसबीएम ओडीएफ प्लस" स्थिति होने के प्रमाणन हेतु केन्द्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय को अनुमोदन भेजेगी।

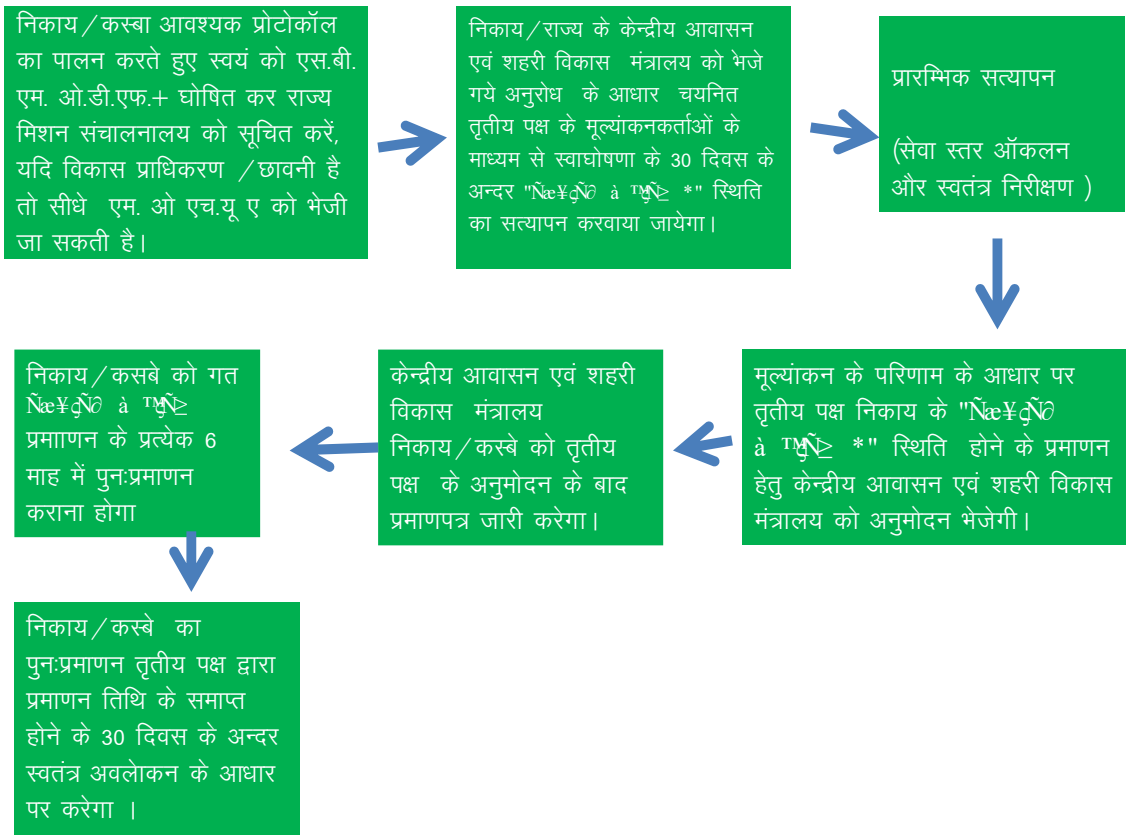

5. केन्द्रीय आवास एवं शहरीविकास मंत्रालय तृतीय पक्ष के अनुमोदन के आधार पर निकाय/शहर को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।
6. निकाय/कसबे को गत एस.बी.एम. ओ.डी.एफ. प्रमाणन के प्रत्येक 6 माह में पुनःप्रमाणन कराना होगा।
7. पुनःप्रमाणन के लिये निकाय/कस्बे से प्राप्त अनुरोध यस आवेदन के आधार पर निकाय/कस्बे का पुनःप्रमाणन तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणन तिथि के समाप्त होने के 30 दिवस के अन्दर स्वतंत्र अवलोकन के आधार पर करेगा ।
8. यह ध्यान दिया जाये कि पुनःप्रमाणन के दौरान पुनःप्रमाणन मूल्यांकनकर्ता द्वारा सेवा स्तर ऑकलन नहीं किया जायेगा ।

5. एस.बी.एम.ओ.डी.एफ+ स्वच्छ प्रमाणन के लिये पद्धति

उक्त सत्यापन प्रक्रिया दो चरणों में होगी

- सेवा स्तर ऑकलन
- स्वतंत्र अवलोकन के आधार पर

सेवा स्तर ऑकलन

1. प्रारम्भिक ऑकड़े स्वआंकलन की प्रक्रिया के माध्यम से निकायों/विकास प्राधिकरणों/छावनी परिषदों से पहले ही संगृहित कर लिये जायेंगे ।
2. तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ता यूएलबी/विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण/ छाबनी भ्रमण करके व्यवस्थित रूप से दस्तावेजों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करते हैं कि यह प्रकिया स्वतंत्र और निष्पक्ष है।

स्वतंत्र अवलोकन के आधार पर

3. यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छाबनी बोर्ड/को अनिवार्य रूप से पूरा सिटी प्रोफाइल डेटा एमओएचयूए को उपलब्ध कराना होगा।
4. आंकड़ों का संग्रह तृतीय पक्ष के मूल्यांकनकर्ता द्वारा किये भौतिक अवलोकन पर आधारित होगा।
5. आंकड़ों का संग्रहण करने के लिये तैयार की जाने वाली प्रश्नावली एमओएचयू के समन्वय से तृतीय पक्ष द्वारा की जायेगी ।
6. तृतीय पक्ष के मूल्यांकनकर्ता, आईटी सक्षम उपकरणों का प्रयोग अपने अवलोकनों व निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए करेंगे।
7. तृतीय पक्ष के मूल्यांकनकर्ता व्यवस्थित रूप से फोटो, प्रमाण के तौर पर स्थान, व तिथि के टैग के साथ अवलोकन के लिए साक्ष्य के रूप में एकत्र करेगी।
8. मूल्यांकन के लिए शहरों की आबादी के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। शहर के आधार पर उन्हें विभिन्न जोनों में विभाजित किया जाएगा।
9. 1–10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, व पश्चिम चार जोनों में बांटा जाएगा।

10. एक लाख से कम आबादी के शहरों को उत्तर व दक्षिण सिर्फ दो जोन में बांटा जाएगा।

11. समुदाय/सार्वजनिक शौचालय मूल्यांकन के दौरान, प्रत्येक शौचालय के लिए आवश्यक शर्तों को अनुलग्नक 4 में प्रदान किए गए फ्रेमवर्क/पैमाने के अनुसार स्कोर किया जाएगा, और प्रत्येक शौचालय के लिए अतिरिक्त शर्तों को अनुलग्नक 5 में प्रदान किए गए फ्रेमवर्क/पैमाने के अनुसार स्कोर किया जाएगा। एक समुदाय / सार्वजनिक शौचालय को एसबीएम ओडीएफ + के तहत शर्तों को पूरा करने के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए दोनों फ्रेमवर्क/पैमाने पर कम से कम 90 प्रतिशत स्कोर करना चाहिए ।

12. सभी स्थान यूएलबी सीमाओं के भीतर होंगे और तीसरे पक्ष के विवेकाधिकार पर अंतिम रूप दिए जाएंगे। चयनित स्थानों को यूएलबी / विकास प्राधिकरण / छावनी बोर्ड को सूचित नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित तालिका उन स्थानों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें स्वतंत्र अवलोकन के लिए तीसरे पक्ष द्वारा अनिवार्य रूप से बिना अपवाद के निरीक्षण किया जाना है, ।

स्थान का प्रकार	प्रति क्षेत्र स्थानों की संख्या (> 10 लाख +)	प्रति शहर स्थानों की संख्या (10 लाख +)	प्रति क्षेत्र स्थानों की संख्या (1-10 लाख)	प्रति शहर स्थानों की संख्या (1 - 10 लाख)	प्रति क्षेत्र स्थानों की संख्या (<1 लाख)	प्रति शहर स्थानों की संख्या (<1 लाख)
बस्ती	2	8	1	4	1	2
स्कूल	1	4	1	4	1	2
सडक और गलियां (ओ.डी. स्पॉट के रुप में चिन्हित)	1	4	1	4	1	2
सार्वजनिक क्षेत्र (पार्क / मंदिर / पर्यटन स्पॉट)	1	4	1	4	1	2
व्यवसायिक क्षेत्र (बाजार / बाज़ार, मंडियों)	2	8	1	4	1	2
आवासीय क्षेत्र	2	8	1	4	1	2
परिवहन केंद्र (रेलवे स्टेशन / बस खड़ा / अन्य)	2 प्रति शहर	2	2 प्रति शहर	2	1 प्रति शहर	1
जल निकाय (तालाब, झील, धारा, नदी बैंक, समुद्र तट / तट)	2 प्रति शहर	2	2 प्रति शहर	2	1 प्रति शहर	1
कुल		40		28		14

6. एसबीएम ओडीएफ + निरीक्षण करने के लिए तीसरे पक्ष के लिए अनिवार्य रूप से पालन करने के प्रोटोकॉल –

1. तृतीय पक्ष यूएलबी/विकास प्राधिकरण / छावनी बोर्ड के कर्मचारियों से एक दिन पहले ही शहर में मूल्यांकनकर्ता के आगमन के केवल एक दिन पहले सूचित किया जाएगा ।
2. मूल्यांकनकर्ता नगर समिति/नोडल अधिकारी/अध्यक्ष/सीईओ या किसी भी नामित अधिकारी से मिलेंगे और उसके बाद ही वे निरीक्षण शुरू करेंगे।

3. मूल्यांकनकर्ता सुबह के पहर/ घंटों (4 बजे से शाम 6 बजे) और देर शाम के पहर/घंटों (8 बजे से शाम 10 बजे) में खुले शौचालय और शौचालयों के लिए निरीक्षण करेंगे। खुले में शौच और शौचालय के उपयोग के लिए पहले पहर ।
4. मूल्यांकनकर्ता केवल निरीक्षण साइट भ्रमण करें और उसकी रिपोर्ट तैयार/जमा करें।
5. यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड के निरीक्षण पर निरीक्षणकर्ता/मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारियों के साथ होना होगा।
6. यदि निरीक्षणकर्ता/मूल्यांकनकर्ता स्थान को सही ढंग से टैग करने में विफल रहता है (यानी, अक्षांश और देशांतर बनाम स्थान के नाम के विरुद्ध) और यदि कोई गलत मिलान होता है तो उस स्थान पर कहा गया स्थान शून्य माना जाएगा और यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड द्वारा इस तरह के और संबंधित मामलों पर शिकायत के मामले में रू. 500/– प्रति मामले तीसरे पक्ष पर लगाया जा सकता है।

7. एसबीएम ओडीएफ ++: परिभाषाएं और आवश्यक शर्तें

एसबीएम ओडीएफ ++ शहर / वार्ड की परिभाषा

एक शहर/वार्ड/वर्क सर्कल 1 को एसबीएम ओडीएफ ++ शहर/एसबीएम ओडीएफ ++ वार्ड /एसबीएम ओडीएफ ++ वर्क सर्कल के रूप में अधिसूचित/घोषित किया जा सकता है, यदि यूएलबी के किसी भी स्थान अथवा समय में एक भी व्यक्ति को खुले में शौच/या खुले में पेशाब करते नहीं पाया हो। सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थित रूप से कार्यशील हों और निरंतर संचालित हों। साथ ही मानव मल का निपटान/सेप्टेज और सीवेज सुरक्षित रूप से प्रबंधित उपचारित और संसाधित किया जाता है, असंसाधित, अनुपचारित मानव मल/फिकल कीचड़/सेप्टेज और सीवेज नाली, जलाशयों या खुले क्षेत्रों में प्रवाहित और /या डंपिंग नहीं किया जाता है।

नोटः एमओएचयूए द्वारा निर्धारित एसबीएम ओडीएफ + प्रोटोकॉल के आधार पर कम से कम एसबीएम ओडीएफ + प्रमाणित किए गए शहर/निकाय; उसके बाद एसबीएम ओडीएफ ++ के रूप में घोषित करने के पात्र होंगे और इस प्रोटोकॉल दस्तावेज़ में निर्धारित शर्तों के अनुसार, एसबीएम ओडीएफ ++ स्थिति के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करें।

एसबीएम ओडीएफ ++ के रूप में एक शहर / वार्ड घोषित करने से पहले हासिल की जाने वाली आवश्यक नियामक स्थितियां और बुनियादी ढांचा

1. एसबीएम ओडीएफ + के लिए सभी आवश्यक शर्तें (एमओएचयूए द्वारा निर्धारित एसबीएम ओडीएफ + प्रोटोकॉल के अनुसार) हासिल की गई हैं, कम से कम 25 प्रतिशत कार्यात्मक सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों को अनुलग्नक 1 (बी) में दी गई अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा (सिवाय इसके)।
2. सभी शौचालय (व्यक्तिगत, समुदाय और सार्वजनिक) या तो जुड़े हुए हैंः
   - सीवेज नेटवर्क से।
   - सुरक्षित रोकथाम प्रणाली (जैसे सेप्टिक टैंक, जुड़वां गड्ढे या सीपीएचईईओ द्वारा निर्धारित अन्य साइट पर स्वच्छता प्रणाली या एसबीएम–शहरी मिशन दिशानिर्देशों के तहत), इन शौचालयों के सेप्टेज को नियमित रूप से खाली करने, उपचार और / या अनुलग्नक 7 में दी गई स्थितियों के अनुबंध के सुरक्षित निपटान को प्रबंधित किया गया हो ।

- सभी सेप्टिक टैंक सफाई सेवा प्रदाता यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड द्वारा पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त हैं, आवंटित क्षेत्रों में संबंधित प्रशासन या प्राधिकरण के साथ अनुबंध के माध्यम से मशीनीकृत उपकरण का उपयोग कर रहे हैं।
- निकाय/शहर ने नालियों और/या खुले क्षेत्रों में अनुपचारित फिकल कीचड़/मानव मल को डंप करने वाले व्यक्तियों/ऑपरेटरों के खिलाफ जुर्माना अधिसूचित और जारी किया है।
- यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड ने स्वच्छता सेवा बेंचमार्क स्तर अधिसूचित किया है, एसबीएम ओडीएफ ++ के लिए परिभाषित सभी स्थितियों का पालन करते हुए नगरपालिका उप–कानूनों (या समकक्ष) व्यापक प्रसार हेतु उक्त अधिसूचना हेतु कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए।

8. एसबीएम ओडीएफ ++ घोषणा प्रोटोकॉल

यूएलबी/शहर /वार्ड/कार्य सर्कल को एसबीएम ओडीएफ ++ घोषित करने के लिए निम्नलिखित प्रोटोकॉल को अपनाया जाना है :–

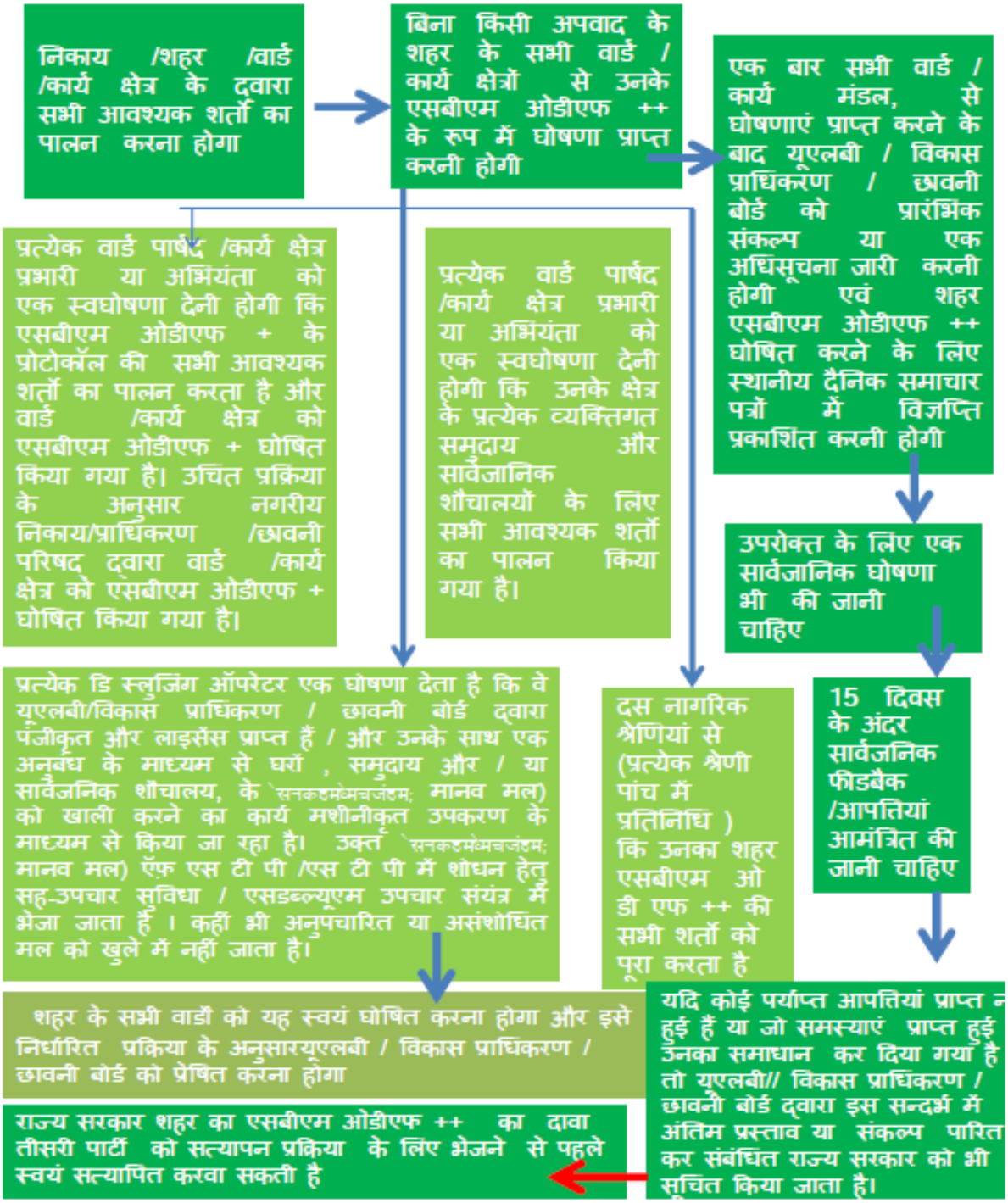

प्रोटोकॉल नीचे विस्तार से स्पष्ट किया गया है :

1. आधारभूत संरचना और नियमों पर सभी 'आवश्यक शर्तों' को/वार्ड/कार्य सर्कल/शहर द्वारा पूरा किया जाना है. 1 उपरोक्त (1) की पूर्ति के बाद,बिना किसी अपवाद की स्थिति में शहर/कस्बे के सभी वार्ड/कार्य क्षेत्रों से उनके एसबीएम ओडीएफ ++ होने की स्वघोषणा प्राप्त किया जाना है । प्रत्येक वार्ड को उक्त स्वघोषणा करने के बाद उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण/छावनी परिषद् को जमा करना होगा।
2. उक्त स्वघोषणा की प्रतिपूर्ति के लिए नगर निगम प्रशासन/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड/वार्ड/कार्य मंडल, (जैसा लागू हो,) निम्नलिखित उप–घोषणाएं प्राप्त की जानी चाहिए :–
    - प्रत्येक वार्ड काउंसिलर/वर्क सर्कल इन–चार्ज या इंजीनियर 2 सभी को एक घोषणा देना होगा कि ओडीएफ + प्रोटोकॉल के अनुसार उनके क्षेत्र द्वारा आवश्यक शर्तें पूरी की जाती हैं, और शहर नगरपालिका प्रशासन/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड को उचित प्रक्रिया के अनुसार समस्त वार्ड/वर्क सर्कल को एसबीएम ओडीएफ + के रूप में घोषित किया गया है।
    - प्रत्येक वार्ड काउंसिलर/वर्क सर्कल इंचार्ज या इंजीनियर को एक घोषणा देना होगा कि कि अनुलग्नक 7 के अनुसार वार्ड /निकाय के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी व्यक्तिगत, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों से फिकल पदार्थ (मानव मल) के प्रबंधन के लिए आवश्यक शर्तें पूर्ण होती हैं।
    - दस नागरिक श्रेणियों (प्रत्येक श्रेणी पांच में प्रतिनिधि) से कि उनका शहर एसबीएम ओ डी एफ ++ की सभी शर्तो को पूरा करता है ।
    - प्रत्येक डि स्लजिंग ऑपरेटर एक घोषणा देता है कि वे यूएलबी/विकास प्राधिकरण /छावनी बोर्ड द्वारा पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त हैं/और उनके साथ एक अनुबंध के माध्यम से घरों , समुदाय और/या सार्वजनिक शौचालय, के मल को खाली करने का कार्य मशीनीकृत उपकरण के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त स्लज और सैप्टेज (मानव मल) एफ.एस. टी.पी./एस.टी.पी. में में शोधन हेतु सह–उपचार सुविधा/एसडब्ल्यूएम उपचार संयंत्र में भेजा जाता है । कहीं भी अनुपचारित या असंशोधित मल को खुले में नहीं जाता है।
3. एक बार सभी वार्ड / कार्य क्षेत्रों , से स्वघोषणाएं प्राप्त करने के बाद निकाय/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड को प्रारंभिक संकल्प या एक अधिसूचना जारी करनी होगी एवं शहर एसबीएम ओडीएफ ++ घोषित करने के लिए स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करनी होगी।

4. इस तरह के संकल्प / अधिसूचना के बाद, एक उपयुक्त सार्वजनिक घोषणा की जानी चाहिए , साथ ही, पंद्रह दिन की समयरेखा के साथ सार्वजनिक प्रतिक्रिया / आपत्ति को आमंत्रित करते हुए व्यापक संचार और पाठकों के कम से कम दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करनी चाहिए ।
5. यदि निर्धारित समयाविधि में कोई पर्याप्त आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं या जो समस्याएं प्राप्त हुई हैं उनका समाधान कर दिया गया है तो यूएलबी/विकास प्राधिकरण /छावनी बोर्ड द्वारा इस सन्दर्भ में अंतिम प्रस्ताव या संकल्प पारित कर संबंधित राज्य सरकार को भी सूचित किया जाता है।
6. निकाय से उक्त के सन्दर्भ में सूचना प्राप्त होने के बाद , राज्य सरकार शहर का एसबीएम ओडीएफ ++ का दावा तीसरी पार्टी को सत्यापन प्रक्रिया (समयबद्ध प्रक्रिया में) के लिए भेजने से पहले स्वयं सत्यापित करवा सकती है।
7. तत्पश्चात भारत सरकार के केंद्रीय आवास और शहरी मामलो का मंत्रालय "एसबीएम ओडीएफ ++ के लिए स्वच्छ प्रमाणन" प्रक्रिया करेगा (विस्तृत दस्तावेज़ आगे दिया गया है ,जारी प्रमाण पत्र छह महीने के लिए मान्य होगा और प्रमाणन प्रक्रिया हर छह महीने में की जानी चाहिए। प्रमाणीकरण में विफलता के मामले में,निकाय को एक महीने का अतिरिक्त समय (प्रमाणीकरण विफलता की तारीख से) प्राप्त हो सकेगा तत्पश्चात शहर फिर से एसबीएम ओडीएफ ++ प्रमाणीकरण के लिए अनुरोध कर सकता है।

1 कार्य क्षेत्र केवल विकास प्राधिकरण संबंधित क्षेत्र के मामले में लागू होता है ।

2 केवल विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के तहत क्षेत्र के मामले में ।

3. नागरिक श्रेणियां – निवासी कल्याण संघ, स्कूल प्रिंसिपल, गैर–सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र, संगठन, वरिष्ठ केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, अधिकारियों, अस्पताल प्राधिकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी, परिवहन प्राधिकरण, बाजार संघ, होटल के मालिक/प्रबंधक, दुकान मालिक, मॉल मालिक/प्रबंधक, पेट्रोल पंप मालिक/प्रबंधकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

9. एसबीएम ओडीएफ ++ घोषणा प्रारूप

शहर /कस्बे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा के लिए प्रारूप

मैं, ... महापौर/अध्यक्ष/सीईओ .... (यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड का नाम) एतद द्वारा यह घोषणा करते हैं कि:

1. निम्नलिखित उप–शर्तों को पूरा किया गया है:

- मानदंड 1 के मुताबिक, सीवर नेटवर्क को बनाए रखते हुए सभी ओवरफ्लो/रिसाव मुद्दों को 6 घंटों के भीतर हल किया जाता है और सुविधा संचालित की जाती है, (यदि शहर में सीवर नेटवर्क नहीं है तो हटाया जाना चाहिए)
- मानदंड 2 के अनुसार सभी संचरित सीवेज का इलाज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है, (यदि शहर में सीवर नेटवर्क नहीं है तो हटाया जाना चाहिए) ।
- मानदंड 3 के अनुसार सीवेज/सेप्टेज उपचार सुविधाओं को संचालित किया और बनाए रखा जाता है।
- मानदंड 4 के अनुसार संसाधित किये गए सूखे कीचड (मानव मल) का निर्दिष्ट स्थल पर निपटान किया जाता है या उचित पुनर्चक्रण /पुनः उपयोग के लिए उसे प्रयोग किया जाता है
- प्रत्येक डि स्लुजिंग ऑपरेटर यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड द्वारा पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त हैं/और उनके साथ एक अनुबंध के अनुसार मानव मल को खाली करने का कार्य मशीनीकृत उपकरण के माध्यम (एफएसएसएम पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश के अनुसार) से किया जा रहा है।
- मानव मल, एफ.एस.टी.पी./एस.टी.पी. में शोधन हेतु सह–उपचार सुविधा / एसडब्ल्यूएम उपचार संयंत्र में भेजा जाता है । कहीं भी अनुपचारित या असंशोधित मल को खुले में ,जलाशयों में या नालियों में नहीं डाला जाता ।
- निकाय /विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड ने नगरपालिका उप–कानूनों (या समकक्ष, नगरपालिका प्रशासन की अनुपस्थिति में) में एसबीएम ओडीएफ ++ के लिए परिभाषित सभी शर्तों का पालन करने के लिए स्वच्छता सेवा स्तर के बेंचमार्क को अधिसूचित किया है और व्यापक पहुंच के लिए इसे कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया है ।

2. निकाय/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड में सभी डि स्लेजिंग ऑपरेटरों ने पंजीकरण, लाइसेंसिंग और संचालन के संबंध में अपनी स्वयं की घोषणाएं जमा की हैं (एसबीएम ओडीएफ ++ प्रोटोकॉल के अनुलग्नक 8 के अनुसार)

3. निकाय /विकास प्राधिकरण / छावनी बोर्ड ने अनुपचारित या असंशोधित मल को खुले में ,जलाशयों में या नालियों में या खुले क्षेत्रों में फेकिल कीचड़ को डंप करने वाले व्यक्तियों/डि स्लेजिंग ऑपरेटरों के खिलाफ जुर्माना जारी और अधिसूचित किया है ।
4. निकाय /विकास प्राधिकरण / छावनी बोर्ड में सभी वार्ड काउंसिलर्स / वर्क सर्कल इन–चार्ज या इंजीनियर्स (लागू होने पर) एसबीएम ओडीएफ ++ स्थिति के बारे में अपनी स्वयं की घोषणाएं जमा कर चुके हैं ।
5. निकाय/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड को एसबीएम ओडीएफ++ प्रारंभिक संकल्प के रूप में घोषित कर दिया गया है ।
6. उपरोक्त संकल्प व्यापक प्रसार के पाठकों के कम से कम दो समाचार पत्रों में, उपरोक्त प्रस्तावों की घोषणा सार्वजनिक रूप से घोषित की गई है, घोषणा के 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक प्रतिक्रिया / आपत्ति आमंत्रित की गई है।
7. चूंकि निर्धारित समय अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं/क्योंकि जनता से प्राप्त आपत्तियां और प्रतिक्रिया का समाधान कर दिया गया है, अतः इस कार्यालय द्वारा एसबीएम ओडीएफ ++ स्थिति के संबंध में पारित अंतिम प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
8. यह अंतिम प्रस्ताव राज्य सरकार को आगे के सत्यापन के लिए सूचित/ अग्रेषित किया गया है (यदि सूचित/अग्रेषित करने का निर्णय लिया गया है)।

तदनुसार, ... (शहर / शहर का नाम) इस प्रकार एसबीएम ओडीएफ ++ घोषित किया गया है।

एमओएचयूए से अनुरोध किया गया है कि (शहर / शहर का नाम) .....के "एसबीएम ओडीएफ ++ के लिए स्वच्छ प्रमाणन" प्रक्रिया प्रारम्भ करें ।

....

(हस्ताक्षर, और महापौर / अध्यक्ष / सीईओ का नाम)

तारीखः

सीलः

प्रत्येक वार्ड प्रभारी/ कार्य क्षेत्र प्रभारी,या इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा के लिए प्रारूप –

मैं, वार्ड प्रभारी/कार्य मंडल प्रभारी/अभियंता .... (वार्ड/कार्य सर्कल विवरण) ..... यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड का नाम) एतद द्वारा यह घोषणा करते हैं कि :–

1. एसबीएम ओडीएफ + के लिए सभी आवश्यक शर्तों (एमओएचयूए द्वारा एसबीएम ओडीएफ + प्रोटोकॉल के अनुसार निर्धारित) की पूर्ति कर ली गई हैं।
2. सभी शौचालय (व्यक्तिगत, समुदाय और सार्वजनिक) या तो जुड़े हुए हैं:

. 2.1. सीवर नेटवर्क; या

2.2. सुरक्षित नियंत्रण प्रणाली (सीपीएचईईओ द्वारा निर्धारित या एसबीएम–शहरी मिशन दिशानिर्देशों के तहत जैसे सेप्टिक टैंक, जुड़वां गड्ढे या अन्य साइट पर स्वच्छता प्रणाली), नियमित खाली करने , संशोधन के साथ और / या इन सभी शौचालयों से सेप्टेज का सुरक्षित निपटान निम्नलिखित सभी शर्तों के अनुसार प्रबंधित किया गया है:

- किसी भी प्रकार का शौच (मानव मल) का खुली नालियों/भूमि/जलाशयों में प्रवाह नहीं किया जाता है।
- निकाय/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड द्वारा अनुबंधित लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों द्वारा सालाना कम से कम दो बार ऑनसाइट स्वच्छता संरचनाओं में निहित फिकल पदार्थ नियमित 5 और सुरक्षित 6 तरीके से खाली करने हेतु संबंधित प्रशासन / प्राधिकरण द्वारा सालाना कम से कम दो बार संपर्क किया जाता है।
- परंपरागत अपशिष्ट जल / सीवेज या एसडब्ल्यूएम उपचार संयंत्र के साथ सेप्टेज के सह–उपचार के माध्यम से एक फिकल कीचड़ उपचार संयंत्र (एफएसटीपी) या पास के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में सभी फिकल कीचड़ का सुरक्षित परिवहन और उपचारण /शोधन की व्यवस्था उपलब्ध है।
- कहीं भी अनुपचारित या असंशोधित मल को खुले में ,जलाशयों में या नालियों में नहीं डाला जाता है।

मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि मैंने औपचारिक रूप से आगे की कार्रवाई के लिए ..... (यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड का नाम) को औपचारिक रूप से अपना स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया है।

....

(हस्ताक्षर, और वार्ड काउंसिलर / कार्य मंडल प्रभारी प्रभारी / अभियंता का नाम)

तारीखः

सीलः

नागरिक प्रतिनिधियों द्वारा आत्म–घोषणा के लिए प्रारूप

मैं .....(नाम) ,की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि .... (नागरिक का नाम श्रेणी) मे..... .(यूएलबी / विकास प्राधिकरण / छावनी बोर्ड का नाम) ..... एतद द्वारा यह घोषणा करते हैं कि :–

- ंकार्यात्मक, स्वच्छ और प्रयोग योग्य सार्वजनिक शौचालय सार्वजनिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में हर 1 किलोमीटर में उपलब्ध हैं
- हमारे परिसर में ऑन–साइट स्वच्छता प्रणाली से फैकल अपशिष्ट पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त कमेसनकहपदह ऑपरेटरों द्वारा एकत्रित और खाली किया जाता है या दो साल में कम से कम एक बार यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड उपयोगिता द्वारा (लागू होने पर परिसर में ऑन–साइट स्वच्छता प्रणाली है)
- हमारे परिसर में इमारतें शहर के सीवर नेटवर्क से जुड़ी हैं (लागू होने पर परिसर में साइट पर स्वच्छता प्रणाली नहीं है)
- हम शौचालय सुविधाओं और रोकथाम प्रणाली की सफाई/खाली करने के लिए मैनुअल स्वेवेंजर्स को नियोजित नहीं करते हैं (यदि परिसर में कोई है)
- हमारे शौचालय सफाई कर्मचारियों को पर्याप्त सफाई उपकरण और सुरक्षात्मक गियर प्रदान किया जाता है

(नागरिक श्रेणी के अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर और नाम)

पताः

फ़ोन नंबरः

तारीखः

10. एसबीएम ओडीएफ ++ के लिए स्वच्छ प्रमाणन

निकाय पहले स्वयं को "एसबीएम ओडीएफ++" के रूप में घोषित करता है और राज्य एसबीएम मिशन संचालनालय के सूचित करेगा। संचालनालय द्वारा यह प्रस्ताव केन्द्रीय आवास एवं शहरीविकास मंत्रालय को तृतीय प्रतिसत्यापन प्रक्रिया के लिए अंतिम प्रस्ताव प्रमाणन हेतु भेजता है। यदि "एसबीएम ओडीएफ ++" नगरीय विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड की है तो केन्द्रीय आवास एवं शहरीविकास मंत्रालय को सीधे भेजी जा सकती है ।

प्रमाणीकरण में विफलता के मामले में, निकाय एक अतिरिक्त महीने की अवधि (प्रमाणीकरण विफलता की तारीख से) के बाद फिर से एसबीएम ओडीएफ ++ प्रमाणीकरण के लिए अनुरोध कर सकेगा ।

इसके बाद, एसबीएम ओडीएफ ++ का पुनर्मूल्यांकन निश्चित अंतराल (हर छह महीने) पर होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसबीएम ओडीएफ ++ स्थिति में कोई कमी नहीं आई है।

11. एसबीएम ओडीएफ ++ के स्वच्छ प्रमाणन के लिए लिए आवश्यक प्रोटोकॉल

स्वच्छ प्रमाणन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रोटोकॉल का पालन करना होगाः

a) शहर स्वयं को प्रथम बार "एसबीएम ओडीएफ ++" के रूप में घोषित करता है और एसबीएम मिशन निदेशालय राज्य को उक्त सूचना प्रेषित करता है, जिसे बाद में राज्य द्वाराएमओएचयूए को भेजा गया है, यदि विकास प्राधिकरण / छावनी बोर्ड है तो सीधे एमओएचयूए को उक्त सूचना सम्प्रेषित की जा सकती है।

b) निकाय/राज्य के केन्द्रीय आवास एवं शहरीविकास मंत्रालय को भेजे अनुरोध के आधार पर चयनित तृतीय पक्ष के मूल्यांकनकर्ताओं के माध्यम से स्वघोषणा के 30 दिवस की सीमा में "एसबीएम ओडीएफ+ +" की स्थिति का सत्यापन करवाना होगा।

c) प्रारम्भिक सत्यापन के लिए तृतीय पक्ष के मूल्यांकनकर्ता द्वारा सेवा स्तर आंकलन और स्वतंत्र निरीक्षण दोनों किए जाएंगे।

d) मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर तृतीय पक्ष निकाय के "एसबीएम ओडीएफ ++" स्थिति होने के प्रमाणन हेतु केन्द्रीय आवास एवं शहरीविकास मंत्रालय को अनुमोदन भेजेंगे।

e) केन्द्रीय आवास एवं शहरीविकास मंत्रालय तृतीय पक्ष के अनुमोदन के आधार पर निकाय/शहर को प्रमाणपत्र जारी करेगा।

f) निकाय/कस्बे को गत "एसबीएम ओडीएफ ++" प्रमाणन के प्रत्येक 6 माह में पुनः प्रमाणन कराना होगा।

g) पुनःप्रमाणन के लिए निकाय/कस्बे से प्राप्त अनुरोध/ आवेदन के आधार पर निकाय पर निकाय/कस्बे का पुनःप्रमाणन तृतीय पक्ष से प्रमाणन तिथि के समाप्त होने के 30 दिवस के अंदर स्वतः अवलोकर के आधार पर करेगा।

यह ध्यान दिया जावे कि पुनः प्रमाणन के दौरान पुनःप्रमाणन मूल्यांकनकर्ता द्वारा सेवा के स्तर का आंकलन नहीं किया जाएगा।

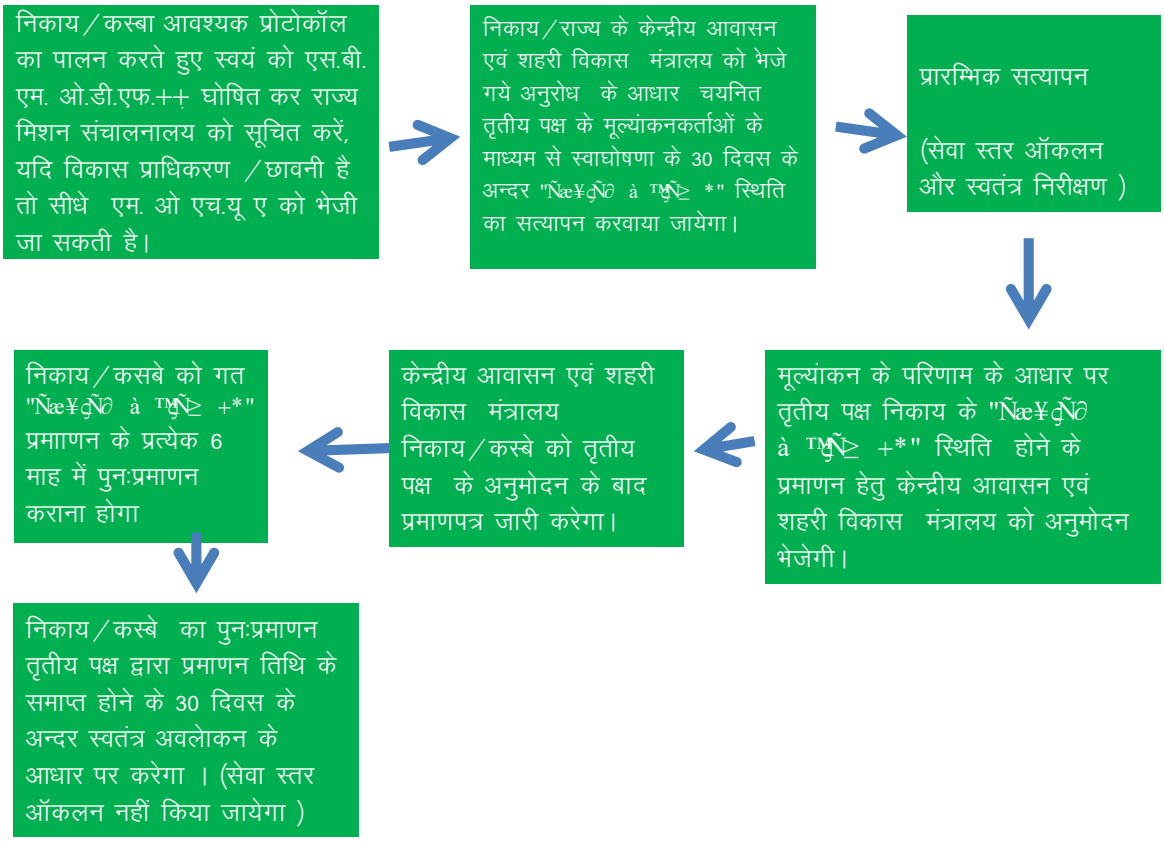

ओ.डी.एफ.+ स्वच्छ प्रमाणन के लिए प्रति

उक्त सत्यापन की प्रकिया दो चरणों में होगी :–

☐ सेवा स्तर ऑकलन

☐ स्वतंत्र अवलोकन के आधार पर

सेवा स्तर ऑकलन

- प्रारम्भिक ऑकडों/स्वआंकलन की प्रक्रिया के माध्यम से निकाय/निकायों/विकास प्राधिकरणों/छाबनी परिषदों/से पहले ही संगृतिहत करा सकेंगे।
- तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ता निकाय/विकास प्राधिकरण/छावनी भ्रमण कर व्यवस्थित रूप से दस्तावेजों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष है।

स्वतंत्र अवलोकन के आधार पर

1. निकाय/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड को अनिवार्य रूप से पूरा सिटी प्रोफ़ाइल डेटा एसबीएम ओडीएफ + घोषणा के बाद स्वतंत्र अवलोकन की सुविधा के लिए एमओएचयूए को प्रदान करना होगा।
2. आंकड़ों का संग्रह तृतीय पक्ष के मूल्यांकनकर्ता द्वारा भौतिक अवलोकन पर आधारित होगा।
3. आंकड़ों का संग्रह करने के लिए तैयार करने के लिए तैयार की जाने वाली प्रश्नावली एमओएचयूए के समन्वय से तृतीय पक्ष द्वारा की जाएगी।
4. तृतीय पक्ष के मूल्यांकनकर्ता व्यवस्थित रूप से फोटो प्रमाण के तौर पर अवलोकन के लिए साक्ष्य के रूप में एकत्र करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थान, तिथि और समय सभी चित्रों पर टैग की गईं है ।
5. मूल्यांकन के लिए, शहरों को आबादी के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। शहर के आकार के आधार पर, इसे जोनों में विभाजित किया जाएगा।
6. 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए, शहर को 4 जोनों में विभाजित किया जाएगा – उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम।
7. 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों के लिए भी, शहर को 4 जोनों में विभाजित किया जाएगा – उत्तरी, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम।
8. 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए, शहर को उत्तर और दक्षिण 2 जोनों में विभाजित किया जाएगा।
9. समुदाय/सार्वजनिक शौचालय मूल्यांकन के दौरान, प्रत्येक शौचालय के लिए आवश्यक शर्तों को अनुलग्नक 4 में प्रदान किए गए फ्रेमवर्क/पैमाने के अनुसार स्कोर किया जाएगा, और प्रत्येक शौचालय के लिए अतिरिक्त शर्तों को अनुलग्नक 5 में प्रदान किए

गए फ्रेमवर्क/पैमाने के अनुसार स्कोर किया जाएगा। एक समुदाय/सार्वजनिक शौचालय को एसबीएम ओडीएफ + के तहत शर्तों को पूरा करने के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए दोनों फ्रेमवर्क/पैमाने पर कम से कम 90 प्रतिशत स्कोर करना चाहिए ।

10. सभी स्थान यूएलबी सीमाओं के भीतर होंगे और तीसरे पक्ष के विवेकाधिकार पर अंतिम रूप दिए जाएंगे। चयनित स्थानों को यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड को सूचित नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित तालिका उन स्थानों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें स्वतंत्र अवलोकन के लिए तीसरे पक्ष द्वारा अनिवार्य रूप से बिना अपवाद के निरीक्षण किया जाना है,

स्थान का प्रकार	प्रति क्षेत्र स्थानों की संख्या (> 10 लाख +)	प्रति शहर स्थानों की संख्या (10 लाख +)	प्रति क्षेत्र स्थानों की संख्या (1-10 लाख)	प्रति शहर स्थानों की संख्या (1 - 10 लाख)	प्रति क्षेत्र स्थानों की संख्या (<1 लाख)	प्रति शहर स्थानों की संख्या (<1 लाख)
बस्ती	2	8	1	4	1	2
सडक और गलियां (खुली नालियों सहित)	1	4	1	4	1	2
सार्वजनिक क्षेत्र (पार्क / मंदिर / पर्यटन स्पॉट)	1	4	1	4	1	2
व्यवसायिक क्षेत्र (बाजार / बाज़ार, मंडियों)	1	4	1	4	1	2
आवासीय क्षेत्र	2	8	1	4	1	2
परिवहन केंद्र (रेलवे स्टेशन / बस खड़ा / अन्य)	2 प्रति शहर	2	2 प्रति शहर	2	1 प्रति शहर	1
बैरेन क्षेत्र (क्षेत्र / अप्रयुक्त भूमि)	2	8	1	4	1	2
	निकाय द्वारा शहर के बाहरी इलाके में सभी खुले मैदानों / अप्रयुक्त भूमि का स्थानांकन प्रदान किया जाना चाहिए					
जल निकाय (तालाब, झील, धारा, नदी बैंक, समुद्र तट / तट)	3 प्रति शहर	3	2 प्रति शहर	2	1 प्रति शहर	1
एसटीपी / एफएसटीपी 1	शहर में सभी एसटीपी और / या एफएसटीपी					
कुल		कम से कम 40		कम से कम 28		कम से कम 14

एसबीएम ओडीएफ + निरीक्षण करने के लिए तीसरे पक्ष के लिए अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए प्रोटोकॉल :–

a. तृतीय पक्ष यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड के कर्मचारियों से एक दिन पहले ही शहर में मूल्यांकनकर्ता के आगमन के केवल एक दिन पहले सूचित किया जाएगा ।

b. मूल्यांकनकर्ता नगर समिति/नोडल अधिकारी/अध्यक्ष/सीईओ या किसी भी नामित अधिकारी से मिलेंगे और उसके बाद ही वे निरीक्षण शुरू करेंगे।
c. मूल्यांकनकर्ता सुबह के पहर/ घंटों (4 बजे से शाम 6 बजे) और देर शाम के पहर/घंटों (8 बजे से शाम 10 बजे) में खुले शौचालय और शौचालयों के लिए निरीक्षण करेंगे। खुले में शौच और शौचालय के उपयोग के लिए पहले पहर ।
d. नामित मूल्यांकनकर्ता केवल साइट निरीक्षण करें और उसकी रिपोर्ट तैयार / जमा करें ।
e. निरीक्षणकर्ता/मूल्यांकनकर्ता को निरीक्षण पर यूएलबी/विकास प्राधिकरण / छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के साथ होना होगा।
f. यदि निरीक्षणकर्ता/ मूल्यांकनकर्ता स्थान को सही ढंग से टैग करने में विफल रहता है (यानी, अक्षांश और देशांतर बनाम स्थान के नाम के विरुद्ध) और यदि कोई गलत मिलान होता है तो उस स्थान पर कहा गया स्थान शून्य माना जाएगा और यूएलबी/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड द्वारा इस तरह के और संबंधित मामलों पर शिकायत के मामले में रू. 500/– प्रति मामले तीसरे पक्ष पर लगाया जा सकता है।

अनुलग्नक दस्तावेज

1 (।). सभी कार्यात्मक समुदाय और सार्वजनिक शौचालयों के लिए आवश्यक शर्तें :–

a. पानी की उपलब्धता।
b. सभी शौचालय सीटें और मूत्रालय हमेशा से साफ और उपयोग करने योग्य होते हैं।
c. वाशबेसिन सदैव स्वच्छ और प्रयोग करने योग्य होते हैं।
d. नियमित सफाई और रखरखाव के लिए रोस्टर को बनाए रखा जा रहा है और खुलने वाले घंटों के दौरान हर समय रखरखाव के लिए व्यक्ति कार्यस्थल पर होता है।
e. शौचालय की फर्श साफ होती है और हर समय झाड़ू लगी हुई होती है।
f. दर्पण, यदि उपलब्ध हो, तो साफ हैं।
g. सभी दरवाजे पर दरवाजा बंद करने के लिए कुण्डी की व्यवस्था
h. उपलब्ध और परिचालन साबुन/साबुनदानी
i. प्रत्येक शौचालय सीट के साथ उपलब्ध कूड़ेदान नियमित रूप से खाली किये जाते हों
j. शौचालय परिसर में पर्याप्त रौशनी की व्यवस्था और प्रत्येक सीट के पास रौशनी के लिए प्रकाश व्यवस्था क्रियाशील अवस्था में हो
k. शौचालय परिसर पर्याप्त हवादार हो

l. शौचालय की बिल्डिंग के अंदर और बाहर बिना किसी लीकेज के हर समय उपयोग करने योग्य पानी ,पानी के टैंक, नल और फिटिंग के साथ उपलब्ध है,

m. यदि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सुविधाएं एकल ब्लॉक में हैं तो क्या दोनों के लिए पृथक प्रवेश की व्यवस्था उपलब्ध हैं

n. विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए शौचालय ब्लॉक में प्रवेश/पहुंच (जैसे रैंप, सीढ़ियों) बाधा मुक्त, शामिल हैं

o. आसपास से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए शौचलय परिसर दृष्टव्य है, संकेतक लगे हैं और साथ ही परिसर के 3 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या पथ विक्रेताओं द्वारा मार्ग अवरुद्ध नहीं किया हुआ है

p. शौचालय से असंशोधित मल/फिकल कीचड़ /सेप्टेज और सीवेज को खुले क्षेत्रों या जल निकायों/या नालियों में प्रवाह/डंप नहीं किया जाता है।

q. कर्मचारियों को उपभोग्य सामग्रियों, सुरक्षात्मक गियर, सफाई उपकरण और सूची की आवश्यक आपूर्ति प्रदान की जाती है और 24 घंटे से अधिक समय तक कोई स्टॉक आउट नहीं होता है।

r. निम्नलिखित में से प्रत्येक का नाम और संपर्क विवरण प्रमुख रूप से प्रदर्शित हैं – पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक की एजेंसी, और क्षेत्र स्वच्छता निरीक्षक

s. सभी शिकायतों, रखरखाव के मुद्दों या पंजीकरण के 24 घंटों के भीतर हल की गई घटनाओं के साथ शिकायत पंजीकरण और निवारण तंत्र पर है और कार्यात्मक है

t. सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय ळववहसम मानचित्र शौचालय लोकेटर पर 'एसबीएम शौचालय' के रूप में दिखाई देता है।

कम से कम मौजूदा 10 प्रतिशत समुदाय और सार्वजनिक शौचालयों के लिए आवश्यक शर्तें

a. दीवारें और फर्श साफ और दाग/धब्बों आदि रहित हैं।

b. हाथ ड्रायर/कागज नैपकिन उपलब्ध है।

c. बच्चों द्वारा उपयोग के लिए कम ऊंचाई शौचालय और वाश बेसिन उपलब्ध हैं

d. स्नान सुविधा उपलब्ध है।

e. महिलाओं के शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सैनिटरी नैपकिन के लिए पर्याप्त निपटान तंत्र है।

f. एयर फ्रेशनर उपलब्ध है और क्रियाशील है।

g. जगह राजस्व उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया है।

h. शौचालय परिसर के आसपास के पौधे/झाड़ियों को अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है।

i. वर्षा जल संचयन सुविधा उपलब्ध है।
j. जल–बचत या पुनः उपयोग प्रौद्योगिकी शामिल की गई है।
k. शौचालय स्वतः संसाधनों से संधारित है।

———————————————————————————————————————

1.न्यूनतम आपूर्ति – उपभोग्य सामग्रियोंः 1 साबुन, शौचालय क्लीनर / डिटर्जेंट, फर्श क्लीनर; प्रत्येक सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षात्मक गियरः 1 जोड़ी दस्ताने, 1 जोड़ी गम जूते, 1 एप्रन/पोशाक; उपकरणः 1 झाड़ू, 2 एमओपीएस / पानी के वाइपर, 1 बाल्टी, 1 पानी मग; अन्य सूचीः 2 प्रकाश बल्ब, 1 पानी मग, रखरखाव लॉग, शिकायत पुस्तक, 1 कलम

2. 100 प्रतिशत ऑपरेशन और रखरखाव लागत परिसर के भीतर उत्पन्न राजस्व से मुलाकात की।

स्कूल के छात्रों द्वारा स्व–घोषणा के लिए प्रारूप (स्कूल घोषणा से जुड़ा होना)

मैं,..... (छात्र का नाम), एतद द्वारा यह घोषणा करता हूं कि न तो मैं और न ही मेरे परिवार के सदस्य शौच के लिए बाहर जाते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि परिवार के सदस्य और मैं घर पर शौचालय का उपयोग करता हूं / पड़ोस में एक समुदाय शौचालय का उपयोग करता हूं, शौचालय और पेशाब के लिए, ये शौचालय पानी की उपलब्धता के साथ कार्यात्मक और अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है।

.....

(छात्र का हस्ताक्षर और नाम) /

(नर्सरी के छात्रों के लिए अभिभावक का अभिभावक और नाम – कक्षा 4)

तारीखः

स्कूल के कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा स्वयं घोषित करने के लिए प्रारूप (साथ जुड़े रहने के लिए स्कूल घोषणा)

मैं.....(कर्मचारियों या शिक्षक का नाम), एतद द्वारा यह घोषणा करता हूं कि न तो मैं और न ही मेरे परिवार के सदस्य शौच के लिए बाहर जाते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे परिवार के सदस्य और मैं घर पर शौचालय का उपयोग करते हैं/

पड़ोस में एक समुदाय शौचालय का उपयोग करते हैं, शौचालय और पेशाब के लिए, और ये शौचालय पानी की उपलब्धता के साथ कार्यात्मक और अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है।

.....

(हस्ताक्षर और कर्मचारियों का नाम)

तारीखः

सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों में आवश्यक सुविधाओं के निरीक्षण हेतु स्कोर

किसी भी सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय को SBM ODF+ स्तर प्राप्त करने हेतु निम्न श्रेणी में कम से कम 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा

क्रण	शर्तें	अंक
स्वच्छता		38
1	समस्त शौचालयों की सीट एवं मूत्रालय हमेशा साफ़ एवं उपयोग योग्य होना चाहिए	20
2	वाशबेसिन हमेशा स्वच्छ एवं उपयोग योग्य होना चाहिए	6
3	शौचालय का फर्श सदैव स्वच्छ रहना चाहिए	6
4	आइना यदि उपलब्ध है तो वह स्वच्छ एवं पोलिशयुक्त होना चाहिए	1
5	सभी शौचालय सीटों के साथ कूड़ादान उपलब्ध हो व इन कूड़ेदानों की सफाई नियमित तौर पर सुनिश्चित की जानी चाहिए	3
6	प्रतिदिन शौचालय की देखभाल, साफ़ सफाई, एवं शौचालय के नियुक्त व्यक्ति की उपलब्धता सम्बंधित रोस्टर नियमित तौर पर भरा जाना चाहिए	2
अन्य ढांचागत सुविधाएं		35
7	जल की उपलब्धता	15
8	साबुन की उपलब्धता	4
9	शौचालय में क्रियाशील नल उपलब्ध होना चाहिए अथवा शौचालय में किसी अन्य श्रोत टंकी द्वारा जल सुनिश्चित किया जाना चाहिए	4
10	शौचालय हवादार रोशनदान या एग्जॉस्ट पंखा उपलब्ध होना चाहिए	4

11	सम्पूर्ण शौचालय प्रकाशमान होना चाहिए , प्रत्येक शौचालय सीट में प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए	4
12	शौचालय के दरवाजो में अंदर की और कुण्डी / चिटकनी की व्यवस्था होनी चाहिए	4
उपलब्धता		17
13	महिलाओ एवं पुरुषो के लिए पृथक शौचालय व् पृथक प्रवेश हेतु रास्ते होना चाहिए	5
14	शौचालय का प्रवेश बाधारहित होना चाहिए , साथ ही दिव्यांग व् निःशक्तजनो हेतु रैंप व् सीढ़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए	5
15	राहगीरों व् आने जाने वालो को शौचालय के चिन्ह जानकारी दूर से दिखाई दी जानी चाहिए। शौचालय के चारो और से 3 मीटर तक किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।	5
16	सभी सामुदायिक /सार्वजनिक शौचालय गूगल मेप पर "स्वच्छ शौचालय" के तौर पर दिखाई दिया जाना चाहिए	2
संचालन एवं रखरखाव		20
17	अनुपचारित मल, कीचड़ / गन्दगी, शौचालय से निकलने वाला गंदा पानी किसी भी प्रकार से नदी, तालाब या अन्य जलस्त्रोत, नालियों या खुले क्षेत्र में उसका बहाव नहीं किया जाना चाहिए।	5
18	सफाई कर्मचारीयो के पास पर्याप्त मात्रा में सफाई में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री, सफाई उपकरण व् सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रहने चाहिए। किसी भी स्थिति में 24 घंटे से अधिक समय के लिए सामग्री भण्डार खाली नहीं रहना चाहिए।	5
19	सफाई पर्येवेक्षक, सम्बंधित संस्था व् क्षेत्र के सफाई निरीक्षक का नाम व् संपर्क सूचना साफ़ तौर पर प्रदर्शित होनी चाहिए।	5
20	शिकायत दर्ज करने व् उसके निवारण हेतु व्यवस्था उपलब्ध हो व् पूर्णतः क्रियाशील रहे। समस्त रखरखाव सम्बंधित शिकायतो को दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	5
	Total	100

कुल क्रियाशील सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों में से कम से कम 1 या कुल शौचालयों का 10 प्रतिशत शौचालयों में अतिरिक्त व्यवस्थाओ हेतु अंक

इस व्यवस्था अंतर्गत SBM ODF+ की अहर्ता हेतु सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय को अतिरिक्त व्यवस्थाओ में कम 90 प्रतिशत अंक करना होगा अनिवार्य होगा।

कमांक	स्थिति	अंक
स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण		20
1	शौचालय की दीवाल एवं फर्श पूर्णतः साफ़ है एवं उन पर ना कुछ लिखा हो, न कोई चित्र /आकृति बनायी गयी हो।	10
2	वायु को बदबूरहित बनाने के लिए सयंत्र लगा हो एवं क्रियाशील हो।	5
3	शौचालय के आसपास के पेड पोधो का कुशल ढंग से संधारित किया गया है।	5
अतिरिक्त सुविधाएं / अधोसंरचना		40
4	हाथ सुखाने के लिए हैंड ड्रायर / पेपर नेपकिंन उपलब्ध है	10
5	स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है।	10
6	बच्चो के उपयोग हेतु कम उचाई के शौचालय व् हाथ धोने हेतु वाश बेसिन उपलब्ध है।	10
7	महिलाओ के शौचालय में सेनिटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन व् उपयोग किये गए नेपकिन के निपटान हेतु व्यवस्था उपलब्ध हो।	10 (पुरुषो के शौचालय के लिए अन्य सभी स्थितियां समान रहेंगी। उसके आधार पर अंको का निर्धारण किया जावेगा)
हरित तकनीकी		10
8	रेनवाटर हार्वेस्टिंग सुविधा उपलब्ध है।	5
9	जल को बचाने एवं उसके पुनःउपयोग हेतु तकनीकी निगमित की गयी है।	5
वित्तीय लाभ		30
10	शौचालय से आय प्राप्त करने हेतु कुछ स्थान सुनिश्चित किया गया है।	15
11	शौचालय स्वयं खर्चे वहन कर पा रहा है. (100 प्रतिशत संचालन व् संधारण का खर्चा शौचालय से होने वाली	15

	आय से ही वहन किया जा रहा है)	
	Total	100

12. आवश्यक दस्तावेज

जो SBM ODF+ हेतु शहरीय निकायों/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड द्वारा थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होंगे।

निम्न दस्तावेज पृथक से प्रदाय करने होंगे। जो जानकारी सिटी प्रोफ़ाइल में नहीं दी गयी है उसके दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु थर्ड पार्टी को अलग से प्रदाय करने होंगे।

- सम्पूर्ण सिटी प्रोफ़ाइल ।
- घरेलु शौचालय के निर्माण के प्रमाण (घर घर सर्वेक्षण के आधार पर, सम्पत्ति कर के आधार पर या अन्य मान्य स्त्रोत के आधार पर)।
- वार्ड वार सामुदायिक व् सार्वजनिक शौचालयों की सूची ।
- शहर में कुल सार्वजनिक शौचालय के निर्माण का लक्ष्य (आसा पास के क्षेत्रों से आने वाली अस्थायी जनसँख्या को ध्यान में रखते हुए), 1 सीट/मूत्रालय प्रति 250 उपयोगकर्ताओं के मान से (अस्थायी जनसँख्या शहर की कुल जनसँख्या के 5 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए)।
- समस्त सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के संधारण करने वाले सम्बंधित व्यक्तियों की जानकारी।
- समस्त सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव सम्बंधित लोग बुक, रिकॉर्ड, समस्या / शिकायत, निराकरण की जानकारी व् समय सहित।
- समस्त सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के साफ़ सफाई की पिछले 3 माह की जानकारी। (यदि शौचालय का निर्माण विगत 3 माह के अंदर हुआ है तो उसके निर्माण के साक्ष्य व जिस दिन से शौचालय का परिचालन प्रारम्भ हुआ है तो उस दिन से सफाई की समय सारणी)।
- समस्त सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के जल कनेक्शन व बिल की प्रति।
- बिजली कनेक्शन की जानकारी या अन्य वैकल्पिक ऊर्जा के स्त्रोत जानकारी तथा समस्त सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के बिजली के बिल की कॉपी।
- सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों में उपलब्ध फीडबैक सिस्टम के आधार पर प्राप्त फीडबैक की जानकारी।
- शौचालयो के कर्मचारीयो को प्रदाय सुरक्षा उपकरण व् सफाई सामग्री के दस्तावेज।

- सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों में यदि कोई उपयोगकर्ता शुल्क वसूल की जा रही है है तो उसकी जानकारी।
- वार्डवार सार्वजनिक व् व्यावसायिक क्षेत्रो की सूची
- खुले में शौच रोकने हेतु जारी अधिसूचना की प्रति
- शौचालयों को देखभाल करने वाली संस्था के साथ किये गए अनुबंध की कॉपी
- सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के टेंक खाली करने वाली संस्था शहरी निकाय /छावनी/विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदाय पावती या शौचालय के कर्मचारी द्वारा निर्मित बहीखाता की प्रति
- अनुबंध में नियमो के अनुरूप सेवाओं को सुचारु रूप से जारी न रखने की स्थिति में समबन्धित संस्था पर लगाए जाने वाले जुर्माने की प्रति
- शहरी निकाय/छावनी/विकास प्राधिकरण द्वारा स्वच्छता सुविधाओं के लिए जारी मानदंड की सूची
- शहरी निकाय/छावनी/विकास प्राधिकरण द्वारा जारी स्वच्छता सुविधाओं के मानदंडों क

` प्रमाण (कम से कम 10 शहरी समूह)

7.

समस्त शौचालयों (घरेलु, सामुदायिक व् सार्वजनिक) से निकलने वाले मल के प्रबंधन हेतु आवश्यक शर्ते :–

- किसी भी शौचालय द्वारा मल का निर्वहन नालियों में/मैदान में/जल स्त्रोतों में नहीं किया जाना चाहिए।
- दो वर्षो में कम से कम एक बार सुरक्षित एवं नियमित तौर पर onsite सैनिटेशन संरचनाओं से मल खाली करना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। यह कार्य शहरी निकाय / विकास प्राधिकरण / छावनी बोर्ड या सम्बंधित प्रशासन द्वारा अनुज्ञा प्राप्त परिचालक द्वारा किया जाए।
- मल व गन्दगी का सुरक्षित परिवहन एवं उपचार – यह उपचार फीकल स्लज एवं सेप्टेज संयंत्र पर किया जा सकता है या निकटस्थ STP पर परंपरागत तरीके से उपयोग कर लिए गए नालियों के गंदे पाने के उपचार द्वारा या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सयंत्र पर Central Pollution Control Board (CPCB) मानकों के अनुसार या Pollution Control Board द्वारा संशोधित नियमों के अनुसार ठोस अपशिष्ट के साथ किया जा सकता है।
- नालियों का नेटवर्क जहां भी उपलब्ध है। मानकों के अनुसार उनकी मरम्मत सुनिश्चित की जानी चाहिए , अतिप्रवाह व् रिसाव की समस्याओं का निराकरण सूचना मिलने के 6 घंटे के अंदर होना चाहिए।
- समस्त संचारित नालियों का उपचार नाली उपचार संयंत्र (STP) पर होना चाहिए।
- मानकों के अनुसार नालियों में प्रवाहित गंदे जल के उपचार हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
- जिन शहरी निकायों में सीवर नेटवर्क उपलब्ध नहीं है ऐसे क्षेत्र में कही भी अनुपचारित मल जल स्त्रोतों में , नालियों में या खुले मैदानों में शोधित नहीं किया जाना चाहिए।
- उपचारित मल का निपटान निश्चित स्थान पर होना चाहिए या पुनः उपयोग हेतु उपयुक्त स्थान पर भेजा जाना चाहिए।

मल निपटान परिचालकों द्वारा प्रदान किये जाने वाला स्व–घोषणापत्र

मै, ... (नाम), निदेशक / समकक्ष .... (मल निपटान करने वाली कंपनी का नाम व् पंजीकृत पता) क्षेत्र में संचालित है .... (शहरी निकाय / छावनी बोर्ड / विकास प्राधिकरण का नाम) घोषणा करता हूँ की :

- शहरी निकाय/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड, के साथ पंजीकृत है व अनुज्ञाप्राप्त है।
- शहरी निकाय/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड के साथ घरेलु या सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालयों के सेप्टिक टैंक खाली करने हेतु करार किया गया है। (शहरी निकाय /विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड द्वारा आवंटित घरेलु/सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों की जानकारी व करारनामा की प्रतिलिपि संलग्न है)
- सेप्टिक टैंक खाली करने हेतु स्वचालित मशीन / उपकरण का उपयोग किया गया है।
- मशीन द्वारा समयसेप्टिक टैंक खाली करते व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया गया है।
- संगृहीत किये गए मल व् गन्दगी का परिवहन व उसका निपटान निकटस्थ थ्ैज्च या ैज्च संयंत्र में सह–उपचार पद्धत्ति / ठोस अपशिशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में सह–उपचार पद्धत्ति के द्वारा किया गया है (उपरोक्त पर चिन्ह लगावे) (उपचार पद्धत्ति का विवरण संलग्न करे) जो की केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के नियमो के अनुसार या राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संशोधित नियमो के अनुसार संचालित है।
- अनुपचारित मल व् गन्दगी खुले में – जल स्त्रोतों में , नालियों में , खुले मैदान आदि में नहीं फेका जाना चाहिए

....

नाम व हस्ताक्षर (मल निपटान करने वाली कंपनी निदेशक / समकक्ष,)

पंजीकृत कार्यालय का पताः

फोन नः

तारीखः

(शहरी निकाय / विकास प्राधिकरण / छावनी बोर्ड द्वारा आवंटित घरेलु / सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों की जानकारी व करारनामा की प्रतिलिपि संलग्न करे)

9. आवश्यक दस्तावेजों के नमूने जो की ैठड व्क्थ++ हेतु शहरीय निकायों/विकास प्राधिकरण/छावनी बोर्ड द्वारा थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होंगे

निम्न दस्तावेज पृथक से प्रदाय करने होंगे। जो जानकारी सिटी प्रोफ़ाइल में नहीं दी गयी है उसके दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु थर्ड पार्टी को अलग से प्रदाय करने होंगे।

- पूर्ण सिटी प्रोफाईल ।
- एसबीएम ओडीएफ+ घोषणा (नगर पालिका प्रशासन को जमा किया गया अथवा जैसा लागू किया गया हो)।
- शहर/नगर एसबीएम ओडीएफ+ थर्ड पार्टी द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र।
- सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की सूची, वार्ड वार।
- सार्वजनिक शौचालयों की लक्ष्य संख्या जो कि शहर/नगर में निर्माण किया जाना है । (अस्थायी आबादी को ध्यान में रखते हुए) गणना 1 सीट / सभी 250 उपयोगकर्ता हेतु यूरिनल (अस्थायी आबादी कुल शहरी)
- सभी सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के लिये रख–रखाव प्रभारी का विवरण।
- सभी सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के लिये पिछले 3 महीनों का साफ सफाई कार्यक्रम का विवरण (यदि शौचालय पिछले 3 महीनों के दौरान बना है तो निर्माण का सबूत एवं परिचालन तिथि से प्रारंभ होने वाले साफ सफाई कार्यक्रम की अनुसूची प्रदान की जानी चाहिए)।
- सभी सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के लिये लॉगबुक / रिकॉर्ड।
- शिकायत/घटनाएं विवरण के साथ एवं समाधान समय।
- सभी सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के लिये वॉटर कनेक्शन का विवरण एवं वाटर बिल्स की प्रति।
- सभी सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के लिये पॉवर कनेक्शन का विवरण (अथवा अन्य सत्त उर्जा व्यवस्था) एवं बिजली बिल की कॉपी
- सभी सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की फीडबैक संबंधी जानकारी, प्राप्त की गई फीडबैक तंत्र से लिया गया।
- शौचालय में कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले सफाई उपकरण एवं सूरक्षात्मक गियर का रिकॉर्ड सूची।
- यूजर चार्जेस की जानकारी, यदि कोई हो सभी सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के लिये।
- वार्ड वार सार्वजनिक एवं सामुदायिक क्षेत्रों की सूची

- खुले में शौच के खिलाफ जुर्माने की अधिसूचना।
- पिछले एक साल में स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में शहर में मैनुअल स्कैवेन्जर्स का कोई भी उदाहरण नहीं दिया गया है।
- अनुबंध समझौते के खण्ड अनुसार कन्सेशनायर/मैन्टेनेन्स अथॉरिटी के साथ सेवा स्तर स्थिति की प्रति।
- कन्सेशनायर के साथ अनुबंध में पेनाल्टी क्लॉज की प्रति / टॉयलेट ब्लॉक्स के लिये मैंटेनेन्स अथॉरिटी सेवा स्तर की स्थिति का पालन न करने के लिये।
- रसीद की प्रति / निकाय द्वारा प्रदान किया गया सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय रखरखाव कर्मचारियों द्वारा बनाया गया लेजर (समकहमत) / डेव्हलपमेंट अथॉरिटी / छावनी बोर्ड डि–स्जलिंज यूटिलिटी/सेप्टिक टैंक के लिये अनुबंधित डि–स्लजिंग ऑपरेटर (या अन्य ै) खाली सेवा
- व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माने की अधिसूचना / नालियों में फीकल स्लज डंप करने के लिये डि–स्लजिंग ऑपरेटर्स / या खुले क्षेत्र
- सभी घरेलू शौचालयों की सूची, परिभाषित स्वच्छता संरचना के प्रकार के साथ (ऑन–साईट रोकथाम जैसे सेप्टिक टैंक, ट्विन पिट आदि या सीवरेज नेटवर्क से कनेक्शन) वार्ड वार।
- घरों को प्रदान की जाने वाली खाली सेवाओं के विवरण / लॉग बुक की कॉपी /डेव्हलपमेंट अथॉरिटी / छावनी बोर्ड उपयोगिता अथवा अनुबंधित ऑपरेटरों द्वारा।
- पंजीययन का अभिलेख एवं सभी डि–स्लजिंग ऑपरेटरों का लाईसेन्स।
- सभी ऑन–साईट संरचनाओं का विवरण और/ या नालियों /लाईसेंस प्राप्त डि–स्लजिंग ऑपरेटर के अन्तर्गत कनेक्शन।
- डि–स्लजिंग के लिये रख–रखाव का रिकॉर्ड / खाली उपकरण, चाहे निकाय का स्वामित्व हो / डेव्हलपमेंट अथॉरिटी/छावनी बोर्ड या लाईसेन्स प्राप्त ऑपरेटर।
- स्लज परिवहन वाहनों के लिये रख–रखाव का रिकॉर्ड, चाहे निकाय का स्वामित्व हो / डेव्हलपमेंट अथॉरिटी/छावनी बोर्ड या लाईसेन्स प्राप्त ऑपरेटर।
- स्लज खाली करने एवं संग्रह के उद्देश्य के लिये यूजर चार्जेस अधिसूचना
- पंजीकृत अथवा गैर पंजीकृत सेप्टिक टैंक क्लिनर्स / प्राईवेट ऑपरेटर्स की मैपिंग
- पंजीकृत डि–स्लजिंग वाहनों से रिपोर्ट/लॉगबुक की जानकारी
- ट्रीटेड फीकल पदार्थ के लिये सुरक्षित निपटान साइट और /या वसूली / पुनः उपयोगी समझौते की अधिसूचना
- अधिकृत निपटान इकाई से लॉगबुक / रिपोर्ट्स की जानकरी।
- सिटी सीवरेज नेटवर्क प्लान।
- सेक्शन वार, शहर सीवरेज नेटवर्क के सफाई एवं रख रखाव का विवरण

- शहर में कार्यशील /फंक्शनल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (ज्चे) / फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (थ्ज्च्) / को– ट्रीटमेंट फैसिलिटिज का विवरण
- सीवेज का विवरण / फीकल स्लज ट्रीटेड प्रतिदिन बनाम प्रतिदिन ट्रीट की क्षमता (ज्तमंज) (STPs के लिये MLD में और FSTPs के लिये KLD में)
- सभी STPs का स्थान / SWM को–ट्रीटमेंट प्लांट एवं शहर से इसकी दूरी।
- सभी STPs का स्थान
- यदि पिछले 6 महीनों के लॉगबुक / STP के इनपुट पैरामीटर्स का विवरण, यदि मौजूद हो।
- यदि पिछले 6 महीनों के लॉगबुक / STP के आउटपुट पैरामीटर्स का विवरण, यदि मौजूद हो।
- वसूली की प्रति / ट्रीटेड स्लज के लिये एग्रीमेंट का पुनः उपयोग।
- पानी की आपूर्ति एवं निकाय द्वारा प्रकाशित स्वच्छता/डेव्हलपमेंट अथॉरिटी/छावनी बोर्ड के लिये सेवा स्तर बेंचमार्क की कॉपी।
- निकाय द्वारा बनाये गये स्वच्छता शिकायत लॉग / डेव्हलपमेंट अथॉरिटी/छावनी बोर्ड मैनुअल स्कैवेन्जिंग के रिकॉर्ड के लिये एवं इसकी कमी।
- लॉगबुक / सीवर नेटवर्क के रख–रखाव का रिकॉर्ड, मुद्दे एवं संकल्प समय घटनाओं के विवरण के साथ
- निकाय द्वारा प्रसारित सेवा स्तर बेंचमार्क के प्रसार का सबूत/ डेव्हलपमेंट अथॉरिटी/छावनी बोर्ड, कम से कम 10 नागरिक श्रेणियों के लिये।

13. निकाय/राज्य द्वारा अपनाए गए बेहतर प्रयास (Best Pracrtices)

देश के कई शहरों ने खुले में शौच को खत्म करने की दिशा में बेहतर प्रयास किए हैं। स्वच्छता सेवाओं को सक्षम बनाने, संरचनाओं के सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना और सामुदायिक शौचालयों के लिये रख–रखाव पैरामीटर में सुधार करना इन प्रयासों को मुख्य उददेश्य है।

फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लान्ट देवनाहल्ली, कर्नाटक

देवनाहल्ली टाउन नगर परिषद, DEWATS प्रसार के लिए कंसोर्टियम और ब्रेमेन ओवरसीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन (Bremen Overseas Research and Development Association BORDA) ने मिलकर देवनाहल्ली, कर्नाटक में फिकल स्लज ट्रीटमेंट सयंत्र की स्थापना की। यह सयंत्र घरेलू शौचालयों से अपशिष्ट की रोकथाम के लिए गड्ढे या सेप्टिक टैंकों पर बहुसंख्यक आबादी की निर्भरता को पूरा करने के लिए लगाया गया था। पूर्व में घरो के नालों का बहता एवं स्थिर गन्दा पानी या तो पास के नालों में मिल जाता था या रसोई उद्यानो में पुनः उपयोग में लिया जाता था। सेप्टिक टैंक/गड्ढों से एकत्रित फिकल स्लज या तो खेतों में मिट्टी पर इस्तेमाल किया जाता था, या किसी भी अनिर्धारित स्थान पर भेज दिया जाता था। यह सुविधा इस समझ के साथ स्थापित की गई थी कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट सयंत्र की स्थापना निकाय के लिए मुमकिन नहीं थी, खराब पानी की उपलब्धता और सरकारी निधियों की कमी के कारण। FSTP 6000 लीटर/दिन की डिजाइन कैपेसिटी से देवनाहल्ली की 30,000 से अधिक आबादी की सेवा करता है। यह एक ग्रेविटी–बेस्ड सुविधा है जिसके लिए कोई बिजली की आवश्यकता नहीं है।

थ्ैज्च और उसके संचालन और रखरखाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप देवनाहल्ली टाउन काउंसिल से संपर्क कर सकते हैं।

वाई और सिन्नर (Wai & Sinnar), महाराष्ट्र में निर्धारित सेप्टिक टैंक खाली करने की सेवाएं एवं FSSTP सुविधा

फीकल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से वाई और सिन्नर नगर परिषद एसबीएम ओडीएफ +(SBM ODF+) बनने के अपने रास्ते पर हैं। नगर परिषद ने सेप्टिक टैंक एक खाली करने के लिए निर्धारित योजना तैयार की है, जिसके अनुसार शहर के सभी सेप्टिक टैंक/ऑनसाइट सिस्टम हर 3 साल में खाली किए जायेंगे और एकत्रित

सेप्टेज का इलाज एक निर्धारित faecal sludge and septage treatment plant (FSSTP) में किया जाएगा। ये सुविधा प्रदान करने के लिए निकाय ने एक प्रदर्शन–आधारित अनुबंध (performance&based contract) शुरू किया है, जिसमें एक प्राइवेट सेक्टर इस सेवा को प्रदान करेगी। इन अनुबंधों का वित्त पोषण संपत्तियों पर लगाए गए स्वच्छता कर के माध्यम से होगा।

वाई और सिन्नर एसबीएम ओडीएफ + (SBM ODF+) के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप वाई और सिन्नर नगर परिषद से संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय दिशा निर्देश, स्वच्छ आंध्र कॉर्पोरेशन , आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश सरकार के स्वच्छ आंध्र कॉर्पोरेशन ने 2016 में 'आंध्र प्रदेश के शहरों द्वारा सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश' जारी किए थे। दिशानिर्देश मे सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के लिए शहर स्तर और शहर भर योजना आती हैं साथ ही सतत्त प्रबंधन, टॉयलेट ब्लॉक/यूनिट के पैमाने पर संचालन (डिजाइन विचारों, सुविधाओं, शौचालयों के निर्माण / उन्नयन के लिए बुनियादी ढांचे सहित), शौचालय सुविधाओं का संचालन और रखरखाव। दिशानिर्देश के अंतर्गत शहर और शौचालय प्रबंधन के लिए टूलकिट भी उपलब्ध कराया गया (शौचालय सूची के लिए GIS & enabled MIS सहित, बेस्ट प्रैक्टिसिज़ कि सूची , O&M आवश्यकताएं और बहुत कुछ)।

व्क्थ स्थिरता के लिए आंध्र प्रदेश के दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप स्वच्छ आंध्र कॉर्पोरेशन से संपर्क कर सकते हैं।